मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र इंदौर

राज्य वन सेवा परीक्षा - 2018

राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि

18.02.2018

विज्ञापन क्रमांक 06/2017/12.12.2017.

वन विभाग, मध्य प्रदेश शासन

ऑनलाईन आवेदन करने की

अंतिम तिथि **08.01.2018**

महत्वपूर्ण

1. राज्य वन सेवा परीक्षा के लिये आवेदन कर रहे उम्मीदवार कृपया यहां नोट करें कि राज्य वन सेवा (लिखित एवं साक्षात्कार) परीक्षा के दूसरे चरण में शामिल होने के लिए उन्हें राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2018 में सम्मिलित होना एवं अर्ह होना अनिवार्य होगा। राज्य सेवा परीक्षा 2018 के विज्ञापन हेतु आयोग के विज्ञापन क्रमांक 05/2017, दिनांक **12.12.2017** का अवलोकन करें।
2. राज्य सेवा तथा वन सेवा परीक्षा के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार एक ही कामन ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं बशर्ते वे पात्रता संबंधी आवश्यक मापदण्ड पूरे करते हो।
3. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे । आवेदन पत्र दिनांक 18.12.2017 (दोपहर 12:00) से दिनांक 08.01.2018 (रात्रि 12:00) बजे तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते है।
4. आवेदक ऑनलाईन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाईन आवेदन पत्रों में दिनांक **23.12.2017** से **10.01.2018** तक त्रुटि सुधार किया जा सकेगा । इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा । नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जायेगा ।
   <u>आवेदक यह ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा अत: वे प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें । यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें ।</u>
   त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि 250/- का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये ऑनलाईन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जायेगी।
5. ऑनलाईन आवेदन पत्रों में आवेदक द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, आयु/जन्मतिथि, शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदन सरसरी तौर पर अमान्य किये जायेंगे तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा ।
6. विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाये तथा परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in, तथा www.mppsc.com एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिये गये Email Address तथा मोबाइल नंबर पर Email तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अत: आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते, मोबाइल नंबर आधार कार्ड का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें ।
7. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है । किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचानेकी संभावना नहीं है । अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है । अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आयें और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके । सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा ।

विज्ञापन का प्रकाशन "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र के आगामी अंक में किया जायेगा ।

एक - भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के अन्तर्गत सहायक वन संरक्षक (Assistant Conservator of Forest) तथा वन क्षेत्रपाल (Forest Ranger) के स्थायी पदों की भर्ती संयुक्त परीक्षा द्वारा किये जाने के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं । पदों की वर्गवार संख्या विभाग द्वारा प्रेषित मांगपत्र के अनुसार दर्शाई गयी है :-

पद का नाम	कुल पद	रिक्तियों की वर्गवार संख्या			
		अना.	अनु.जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व.
1	2	3	4	5	6
सहायक वन संरक्षक	6	3	1	1	1
वन क्षेत्रपाल	100	72	04	05	19

टीप :- (1) शासन द्वारा पदों का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है । किन्तु पदों की संख्या में वृद्धि केवल राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2018 के परिणाम घोषित होने के पूर्व तक ही की जा सकेगी । पदों में वृद्धि की स्थिति में कोई अतिरिक्त् आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जायेंगे तथा सभी पदों हेतु केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किया है । चयन के किसी भी स्तर पर पदों की संख्या में कमी की जा सकती है ।

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 में अधिसूचना क्रमांक सी 3-10-12- एक-3, दिनांक 26 सितम्बर 2015, द्वारा महिला आरक्षण वन विभाग को छोड़कर प्रावधानित किया गया है।

(3) सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल के पदों हेतु किसी भी श्रेणी के विकलांग आवेदक आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है । उक्त पद हेतु शारीरिक मापदंड निर्धारित है आवेदक आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शारीरिक मापदंड पूरा करते हैं। (देखें विज्ञापन की कंडिका-3)

दो- पद का विवरण-

(A) पद का नाम : **सहायक वन संरक्षक**

(B) विभाग का नाम : मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

(C) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी

(D) पदस्थिति : स्थायी

(E) वेतनमान : रूपये 15600-39100+5400/- ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।

(F) अर्हता : 1. शैक्षणिक

अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्न विषयों में से कम से कम एक के साथ विज्ञान अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक (या समकक्ष) होना चाहिये :- प्राकृतिक विज्ञान (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणि शास्त्र) गणित, सांख्यिकी, भू-विज्ञान, कृषि, पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, उद्यानिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान (वैटिनरी साइंस), कम्प्यूटर एप्लीकेशन/साइंस, इंजीनियरिंग (कृषि/ रसायन/ सिविल / कम्प्यूटर/ इलेक्ट्रिकल /इलेक्ट्रानिक्स /मैकेनिकल) में स्नातक उपाधि धारण करता हो, या समतुल्य विदेशी अर्हता धारण करता हो, परन्तु विशुद्ध गणित या सांख्यिकी के साथ स्नातक की दशा में उसने हायर सेकेन्ड्री/ मेट्रीकुलेशन या समतुल्य परीक्षा में निम्नलिखित विषयों में से कोई एक विषय लिया हो:-

1. जीव विज्ञान
2. भौतिक शास्त्र
3. रसायन शास्त्र

2. प्रशिक्षण

दो वर्ष की पत्रोपाधि लेने हेतु वन महाविद्यालय देहरादून अथवा शासन द्वारा निर्धारित

उसके समकक्ष भारतवर्ष के किसी भी अन्य प्रशिक्षण, वन विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा दो वर्ष का प्रशिक्षण विभाग में प्राप्त करना होगा एवं नियमानुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।

3. शारीरिक

बिन्दु चार में उल्लेखित शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण के प्रावधानों को पूर्ण करना होगा ।

(G) कर्तव्य । : वानिकी एवं वन्य प्राणी प्रबंधन

(A) पद का नाम **वन क्षेत्रपाल**

(B) विभाग का नाम मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

(C) श्रेणी राजपत्रित द्वितीय श्रेणी

(D) पदस्थिति स्थायी

(E) वेतनमान रूपये 9300-34800+3600/- ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।

(F) अर्हता : 1. शैक्षणिक

उम्मीदवार के पास भारत में मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान/ यांत्रिकी/ कृषि/वानिकी में स्नातक उपाधि अथवा समतुल्य विदेशी अर्हता होनी चाहिए और उसने स्नातक उपाधि में निम्नलिखित में से कम से कम एक विषय लिया हो:-

भौतिक शास्त्र/ रसायन शास्त्र / प्राणी शास्त्र / वनस्पति शास्त्र / भू-गर्भ शास्त्र /गणित / सांख्यिकी / वानिकी / कृषि / उद्यानिकी / यांत्रिकी (सिविल/मैकेनिकल /इलेक्ट्रीकल / इलेक्ट्रानिक्स /केमिकल /कंम्प्यूटर)

2. प्रशिक्षण

18 माह की प्रशिक्षण अवधि होगी। प्रशिक्षण भारतवर्ष के किसी भी वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय में प्राप्त करना होगा ।

3. शारीरिक

बिन्दु चार में उल्लेखित शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण के प्रावधानों को पूर्ण करना होगा ।

(G) कर्तव्य : वन विकास एवं वन सुरक्षा

टीप- उपर्युक्त पदों के लिए आवेदक के पास निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं, राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए । इसके पश्चात किसी भी दिनांक को उक्त अर्हताएं अर्जित करने वाले आवेदक उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे। परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित किए जाने का अर्थयह कदापि नहीं है कि आवेदक को पद के योग्य मान लिया गया है । चयन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर अयोग्य पाये जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी ।

तीन- शारीरिक मापदंड

	पुरूष	महिला
ऊंचाई अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	163 से.मी.	150 से.मी.
ऊंचाई अनुसूचित जनजाति	152 से.मी.	145 से.मी.
1. सीने की परिधि	79 से.मी.	74 से.मी.
2. न्यूनतम विस्तार	5 से.मी.	5 से.मी.
3. पूर्ण विस्तार	84 से.मी.	79 से.मी.
शारीरिक क्षमता परीक्षण		
चार घंटे पैदल चलना	25 कि.मी.	सहायक वन संरक्षक हेतु : 14 कि.मी. वन क्षेत्रपाल हेतु : 16 कि.मी.

टीप- (1) चिकित्सा मंडल द्वारा उम्मीदवारों की ऊंचाई एवं सीने के मापदंड लिये जावेंगे तथा उम्मीदवारों की श्रवण शक्ति, दृष्टि एवं वन विभाग में बाह्य सेवा (आऊट डोर वर्क) हेतु न्यूनतम शारीरिक मापदंड का परीक्षण किया जावेगा।

(2) शारीरिक क्षमता परीक्षण राज्य शासन द्वारा साक्षात्कार के पूर्व किया जायेगा । अंतिम चयन में उन्ही अभ्यर्थियों को विचारित किया जायेगा जो शारीरिक क्षमता परीक्षण में सफल होंगे ।

(पुरूष आवेदकों को 25 कि.मी. की दूरी चार घंटे में पैदल चलकर तथा महिला आवेदकों को सहायक वन संरक्षक के पद हेतु 14 कि.मी. तथा वन क्षेत्रपाल हेतु 16 कि.मी. की दूरी चार घंटे में पैदल चलकर तय करना होगी)

चार- (1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है आरक्षण हेतु पात्र नहीं हैं। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा ।

(2) मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें ।

पांच- मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अर्न्तगत अनर्हता -

(अ) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु जहां किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा ।

(ब) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा ।

छः- आयु सीमा- 21 की आयु पूर्ण कर ली हो परंतु 28 वर्ष पूर्ण न की हो ।

आयु संगणना तिथि 01.01.2018 होगी ।

आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिये परिशिष्ट - 1 देखें ।

सात- महत्वपूर्ण - यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें । परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर आवेदक की उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी ।

आठ- अधिवार्षिकी आयु - 60 वर्ष

नौ- परिवीक्षा- सहायक वन संरक्षक के पद पर आवेदकों की नियुक्ति 04 वर्ष की परिवीक्षा पर तथा वन क्षेत्रपाल के पद पर आवेदकों की नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी ।

दस- अनुबंध निष्पादन- चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण संस्थान में जाने से पूर्व विभाग द्वारा निर्धारित अनुबंध निष्पादित करना होगा-

1 चयनित अधिकारी बीच में प्रशिक्षण छोड़ता है तो प्रशिक्षण पर होने वाला समस्त व्यय चयनित अधिकारी को राज्य सरकार को देना होगा ।

2 प्रशिक्षण उपरांत विभाग में सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के पद पर नियुक्ति प्राप्त हो जाने पर चयनित अधिकारी को विभाग में 5 वर्ष सेवा करना अनिवार्य होगा ।

ग्यारह- चयन प्रक्रिया-

चयन प्रक्रिया के पांच क्रमिक चरण होंगे -

(अ) राज्य वन सेवा (मुख्य परीक्षा) के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार ओ.एम.आर. शीट आधारित)

(ब) राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑनलाइन परीक्षा पद्धति से)

(स) शारीरिक क्षमता परीक्षण-राज्य शासन द्वारा (पुरुष आवेदकों को 25 कि.मी. की दूरी चार घंटे में पैदल चलकर तथा महिला आवेदकों को सहायक वन संरक्षक के पद हेतु 14 कि.मी. तथा वन क्षेत्रपाल के पद हेतु 16 कि.मी. की दूरी चार घंटों में पैदल

चलकर तय करना होगी)

(द) स्वास्थ्य परीक्षण-राज्य शासन के चिकित्सा मंडल द्वारा ।

(इ) साक्षात्कार- लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश द्वारा ।

(अ) परीक्षा योजना -

<u>प्रारंभिक परीक्षा</u>- राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2018 ही राज्य वन सेवा परीक्षा-2018 हेतु आयोजित अर्हकारी परीक्षा होगी। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के (बहुविकल्पीय प्रश्न) दो प्रश्न पत्र होंगे । राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में गुणानुक्रम सूची केवल प्रथम प्रश्न पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर बनाई जाती है तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में अनारक्षित श्रेणी में 40 प्रतिशत अनुसूचित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होता है । किन्तु राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की गुणानुक्रम सूची बनाते समय प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों में ही प्राप्त अंकों के योग के आधार पर गुणानुक्रम सूची वर्गवार, श्रेणीवार बनाई जायेगी । क्योंकि राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु केवल विज्ञान संकाय के अभ्यर्थी ही पात्र है । प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम अनारक्षित 40 प्रतिशत अंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 30 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक होगा । यह परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण के रूप में ली जाएगी । इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु योग्य/अर्ह घोषित किया जाएगा । अंतिम चयन सूची केवल मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित की जायेगी । प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर कुल रिक्त स्थानों के 15 गुना अभ्यर्थियों को राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किया जावेगा । **<u>Negative Marking</u>** नहीं होगी ।

<u>मुख्य परीक्षा :-</u>

प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा आयोजित की जायेगी । परीक्षा में निम्नानुसार दो प्रश्नपत्र रहेंगे

उक्त प्रश्न पत्रों के अंक विभाजन व प्रश्न योजना निम्नानुसार होगी :-

ऑनलाइन परीक्षा	विवरण	प्रश्न संख्या	अंक
प्रथम प्रश्न पत्र	सामान्य अध्ययन, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, प्रारम्भिक गणित, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी आदि	100	200
द्वितीय प्रश्न पत्र	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	100	200
ऑनलाइन परीक्षा के कुल अंक			400
साक्षात्कार -			50
कुल अंक :-			450

दोनों प्रश्नपत्र अनिवार्य होंगे। समस्त प्रश्न वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्प) प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इस प्रकार प्रत्येक प्रश्नपत्र का पूर्णांक 200 होगा। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प (A,B,C,D) होंगे। अभ्यर्थी को सही उत्तर का चयन करना होगा। प्रश्नपत्र की अवधि 2 घंटे की होगी।

मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्नपत्र में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्नपत्र में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परीक्षा में कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।

परीक्षा परिणाम के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-

प्रारम्भिक तथा मुख्य परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूंछे गए पश्नों के आदर्श उत्तरों की कुंजी तैयार कर, आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित कर आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी । इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया जाएगा । प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रूपये शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क तथा पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा ।

प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जायेगी :-

1. ऐसे प्रश्न जिनका आदर्श कुंजी में गलत उत्तर दिया है और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है तब आदर्श कुंजी को संशोधित किया जायेगा
2. आपत्तियों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार पाये गये प्रश्नों को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जायेगा:-
   - ऐसे प्रश्न जिसका दिये विकल्पों में सही उत्तर न हो ।
   - ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हों ।
   - ऐसे प्रश्न जिनके हिन्दी व अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता है ।

विषय विशेषज्ञ द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित की जाएगी ।

उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गये प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर प्रारम्भिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा ।

मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित पदों की संख्या के 3 गुने तथा अंतिम चयनित आवेदक के समान अंक पाने वाले आवेदक साक्षात्कार के लिये अर्ह घोषित किये जायेंगे । सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल हेतु मुख्य परीक्षा में अर्ह आवेदकों की दो पृथक गुणानुक्रम सूची बनाई जायेगी तथा दोनों पदों हेतु अर्ह आवेदक दोनों ही सूची में सम्मिलित रहेंगे ।

(ब) शारीरिक क्षमता परीक्षण -

पुरूष आवेदकों को 25 कि.मी. की दूरी चार घंटे पैदल चलकर तथा महिला आवेदकों को सहायक वन संरक्षक के पद हेतु 14 कि.मी. तथा वन क्षेत्रपाल के पद हेतु 16 कि.मी. की दूरी चार घंटों में पैदल चलकर तय करना होगी ।

(स) स्वास्थ्य परीक्षण -

चिकित्सा मंडल द्वारा उम्मीदवारों की ऊंचाई एवं सीने के मापदंड लिये जावेंगे तथा उम्मीदवारों की श्रवण शक्ति, दृष्टि एवं वन विभाग में बाह्य (आऊट डोर वर्क) हेतु न्यूनतम शारीरिक मापदंड का परीक्षण किया जावेगा ।

(द) साक्षात्कार -

मुख्य परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर गुणानुक्रम में प्रत्येक श्रेणी के आवेदकों को पदों की संख्या के तीन गुना के अनुपात में तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा । साक्षात्कार के लिए पूर्णांक 50 निर्धारित है । साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा । साक्षात्कार के लिये आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

बारह- चयन विधि

(1) आवेदक सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल में से किसी एक पद के लिये अथवा दोनों पदों के लिये आवेदन कर सकेंगें । आवेदक इस विज्ञापन में दर्शित अर्हता का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं । तत्पश्चात ही आवेदन करें।

(2) मुख्य परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन पत्र में पद चयन हेतु तीन विकल्प है (A) सहायक वन संरक्षक हेतु (B) वन क्षेत्रपाल हेतु तथा (C) दोनों पदों हेतु । दोनों पदों हेतु वे आवेदक ही आवेदन करें जो दोनों पदों हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हों ।

(3) राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के पंद्रह गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किया जायेगा । समान रूप से मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किया जायेगा । इस हेतु सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल हेतु पृथक-पृथक गुणानुक्रम सूची वर्गवार, श्रेणीवार बनाई जाएगी ।

(4) साक्षात्कार के पश्चात अंतिम मेरिट सूची A+C (सहायक वन संरक्षक) B+C (वन क्षेत्रपाल) के आधार पर बनाई जायेगी । A+C (सहायक वन संरक्षक) का चयन परिणाम बनाने के बाद उसमें चयन हेतु सफल उम्मीदवारों के अतिरिक्त C श्रेणी के जो आवेदक होंगे वे वन क्षेत्रपाल के पद हेतु भी विचारित किये जायेंगे ।

तेरह- महत्वपूर्ण :-

- आयोग में परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

- चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

चौदह- आवेदन प्रक्रिया - उक्त पद हेतु आवेदन पत्र मात्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे । ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट-दो** का अवलोकन करें ।

पंद्रह- प्रवेश पत्र प्राप्ति प्रक्रिया - परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 01.02.2018 (दोपहर 12.00 बजे) से 16.02.2018 (रात्रि 12.00 बजे) तक **www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर उपलब्ध रहेंगे । अर्हताधारी आवेदक अपने प्रवेश-पत्र उक्त वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकेंगे । पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे । प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु आवेदक को वेबसाइट में विहित स्थान पर उसके आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि करनी होगी । एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु 5 रूपये पोर्टल शुल्क देय होगा।

सोलह- अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान ई-मेल आई.डी पर ही आयोग द्वारा आवश्यक पत्र-व्यवहार किया जाएगा। अभ्यर्थी के ई-मेल आई डी. में परिवर्तन की दशा में अभ्यर्थी को तत्काल नये ई-मेल आई. डी. की सूचना आयोग को आवश्यक पत्र व्यवहार हेतु लिखित में देनी होगी । अभ्यर्थी द्वारा ई-मेल आई. डी. परिवर्तन की स्थिति में नये ई-मेल आई. डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र-व्यवहार पुराने ई-मेल आई. डी. पर ही किया जाएगा जिसके फलस्वरूप आवेदक को सूचना प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में आवेदक का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा । आवेदक अपने वर्तमान डाक पते में परिवर्तन के संबंध में भी आयोग को तत्काल लिखित में सूचना प्रेषित करें ।

सत्रह- अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें -

(1) आयु सीमा की छूटें परिशिष्ट - एक

(2) आवेदन पत्र भरने तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां परिशिष्ट - दो

(3) आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश परिशिष्ट - तीन

(4) ऑनलाइन परीक्षा के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश परिशिष्ट- चार

(5) प्रारंभिक परीक्षा की योजना तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट - पांच

(6) मुख्य परीक्षा की योजना तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट - छः

सचिव

परिशिष्ट -एक

आयु सीमा में छूट

(एक) वन क्षेत्रपाल हेतु -

अधिकतम आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-4/2016/1/3, दिनांक 12/07/2016 के अनुसार निम्नानुसार छूट देय होगी :-

आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग) /शासकीय सेवकों/ निगम/मण्डल/स्वायत्तशासी संस्थाए/ नगर सैनिकों एवं महिलाओं) तथा वन विभाग के भर्ती नियमों का अनुसरण करते हुये नियुक्त किए गए विभागीय कर्मचारियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष होगी।

(दो) सहायक वन संरक्षक हेतु -

(01) मध्य प्रदेश के मूल निवासी निम्नलिखित प्रवर्गों हेतु अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी:-

क्रमांक	आवेदक	मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु सीमा (वर्ष में)
01	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	28+12=40 वर्ष
02	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	28+17=45 वर्ष
03	पुरुष/महिला आवेदक (शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	28+17=45 वर्ष
04	पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	28+17=45 वर्ष
05	पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग - शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	28+17=45 वर्ष
प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में आयु सीमा में छूट प्राप्त नही होगी		

(02) भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा की गई सेवा के आधार पर अधिकतम 03 वर्ष की छूट होगी जो कि अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष के अध्यधीन होगी ।

स्पष्टीकरण -

(1) भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985" के नियम 2 (ग) में अद्यतन संशोधन द्वारा यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक।

(2) ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को जो सैनिक सेवा में है उन्हें भूतपूर्व सैनिक का लाभ नहीं दिया जाएगा । भूतपूर्व सैनिक को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व सेना से डिस्चार्ज होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(तीन) **प्रोत्साहन स्वरूप देय छूट :-**

(01) अधिकतम 5 वर्ष तकः- यदि अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित अन्तर्जातीय विवाह योजना के अधीन पुरस्कार प्राप्त सवर्ण पार्टनर हो;

(02) अधिकतम 5 वर्ष तकः- यदि अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/8/85/ 3/1, दिनांक 3 सितम्बर, 1985 के अनुसार "विक्रम अवार्ड" से सम्मानित खिलाड़ी होः

परन्तु उक्त शिथिलीकरण के मामले में अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात अधिकतम लाभ वाली किसी एक छूट का ही हकदार होगा।

टिप्पणी:-

(1) समस्त छूटों को सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित अधिकतम आयु सीमा (45 वर्ष) से अधिक नहीं होगी।अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष या अधिक होगी वे सहायक वन संरक्षक के पद हेतु आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगें। वन क्षेत्रपाल के पद

हेतु यह आयु सीमा 38 वर्ष होगी।

(3) आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट के समस्त लाभ केवल मध्यप्रदेश राज्य के सन्दर्भ में उपलब्ध होंगे, अतएव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट तथा अन्य लाभ केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को अनुज्ञेय होंगे। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के रूप में माने जाएंगे।

(4) अभ्यर्थी को शासकीय सेवक के तौर पर आयु सीमा मे छूट तभी प्रदाय की जाएगी जब वह प्रारम्भिक परीक्षा से साक्षात्कार तक निरंतर शासकीय सेवक हो।

(छः) उक्त उपबंध, इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं/परिपत्रों के अधिक्रमण में है।

उक्त रियायतों के सिवाय आयु सीमा में कोई भी अन्य छूट अनुज्ञेय नहीं होगी। अभ्यर्थियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आयोग केवल वही जन्म तिथि स्वीकार करेगा जो मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण पत्र में या उसके समकक्ष समझी गई परीक्षा के प्रमाण पत्र में अभिलिखित की गई हो। मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ साथ हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी के प्रमाण पत्र/अंक सूची जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो अनिवार्य रूप से अपलोड की जाना चाहिए, इसमें असफल रहने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आयु से संबंधित अन्य दस्तावेज जैसे जन्मपत्री, शपथ पत्र, नगर निगम सेवा अभिलेखों इत्यादि से लिए गए जन्म संबंधी उद्धरण और इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र में उक्त प्रक्रिया के अनुसार एक बार जन्म तिथि सत्यापित होने तथा अभिलिखित हो जाने के बाद इसमें परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा तथा सभी अभ्यावदेन अमान्य होगें। प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों में विसंगतियां पाई जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा।

परिशिष्ट- दो

राज्य वन सेवा परीक्षा 2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. राज्य वन सेवा परीक्षा 2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है:-

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट पर www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। आवेदक MPonline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भर कर कियोस्क पर ही परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं।
2. उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त आवेदक निम्न माध्यमों से भी शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:-
   1. स्वयं अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड (Master card/VISA/Maestro अथवा Rupay) के माध्यम से कर सकते हैं।
   2. ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं ।
3. MPonline के अधिकृत कियोस्कों की सूची www.mponline.gov.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
4. आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व अपने अद्यतन पासपोर्ट साइज की फोटो ग्राफ तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। www.mponline.gov.in के KIOSK पर स्कैनिंग की नि: शुल्क सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गये आनलाईन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।
6. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिये गये निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।
7. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभाँति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन Submit करें।
8. आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले pop up window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग, आधार कार्ड आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगें। Pop up window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा ।

   अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद "proceed to payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें। आवेदक उक्त आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि का प्रयोग कर प्रवेश पत्र डाऊनलोड कर सकेंगें।
9. **त्रुटि सुधार सुविधा :-** आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक **23.12.2017** से **10.01.2018** तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र **रु. 50/-** शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा स्वयं अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

   ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक/ नि:शक्तजन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अत: त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई भी पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा ।
10. आवेदक उक्त आवेदन पत्र को सुरक्षित रखें. आवेदन पत्र में अंकित आवेदन पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक की प्रविष्टि कर इंटरनेट के माध्यंम से वे प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले सकेंगे ।

11. **अत्यावश्यक :-**

यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में वर्टिकल श्रेणी (अना./ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग) गलत भरी गयी है तो उसे अनारक्षित (ओपन) के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर अनारक्षित (ओपन) श्रेणी में उम्मीदवारी मान्य होगी और यदि होरीजोंटल आरक्षण (महिला/ भूतपूर्व सैनिक/ नि:शक्तजन) में गलत श्रेणी भरी है तो उसी वर्ग के ओपेन के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर उस वर्ग के ओपन में उम्मीदवारी मान्य की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश और विधि :-

1. कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदन पत्र दिनांक 18.12.2017 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 08.01.2017 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।
2. आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 23.12.2017 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 10.01.2018 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइनकिया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु.50/- त्रुटि सुधार शुल्क के भुगतान के पश्चात आवेदन पत्र में वांछित सुधार किया जा सकेगा।
3. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग करने की मांग की जाती है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि रु. 250/- का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जावेगी।
4. आवेदन एवं परीक्षा शुल्कः-

<table>
<tr><td colspan="3">मप्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क</td><td>शेष सभी श्रेणी एवं मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क</td></tr>
<tr><td colspan="3">रु. 250/-</td><td>रु. 500/-</td></tr>
<tr><td colspan="4">सभी श्रेणी के आवेदकों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रु. 40/- (सेवाकर सहित) अतिरिक्त देय होगा। जो अभ्यर्थी राज्य सेवा तथा वन सेवा दोनों हेतु आवेदन करेंगे उन्हें भी उपरोक्त अनुसार ही शुल्क एक बार ही देना होगा।</td></tr>
<tr><td>टीप :-</td><td>1.</td><td colspan="2">प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम के बाद आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in, www.mppsc.com तथा www.mppscdemo.in पर उपलब्ध कराये गए ऑनलाइन माड्यूल की सहायता से रु. 50/- शुल्क का भुगतान कर अभ्यर्थी उनकी OMR शीट Download कर सकेंगे।</td></tr>
<tr><td></td><td>2.</td><td colspan="2">सूचना के अधिकार के तहत प्रारंभिक परीक्षा की OMR शीट की फोटोकापी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात प्रदान की जाएगी किन्तु राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओ के संदर्भ में ऑनलाइन परीक्षा संबंधी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में जानकारी हेतु परिशिष्ट- चार देखें।</td></tr>
<tr><td></td><td>3.</td><td colspan="2">प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान अलग से करना होगा</td></tr>
</table>

आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपी ऑनलाइन के निम्न दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

हेल्पलाइन - 0755-4019400

किसी भी स्थिति में आयोग को भुगतान किये गये शुल्क की वापसी के किसी भी दावे पर ना तो विचार किया जावेगा और ना ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा/चयन के लिये आरक्षित रखा जा सकेगा।

5. **ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारीः-**

मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित **राज्य वन सेवा परीक्षा 2018** के लिए आवेदन पत्र वेबसाइट **https://www.mponline.gov.in, www.mppscdemo.in,www.mppsc.nic.in एवं www.mppsc.com** पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आवेदक परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरकर परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लाक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से किया जा सकता है। एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिए **https://www.mponline.gov.in** पर **locateKiosk/CSCsLink** देखें। **आवेदक**

हेल्पलाइन - 0755-4019400 से भी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

6. **प्रारम्भिक परीक्षा दिनांकः- 18.02.2018**

7. इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म / परीक्षा शुल्क भरने की विधिः-

आवेदक **https://www.mponline.gov.in** वेबसाइट के माध्यम से होम पेज पर **CitizenServices**पर क्लिक करें इसके उपरांत Application लिंक पर जाकर MPPSC M.P. Public Service Commission बटन को क्लिक करें। अब उसे यहां निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगे।

Click here to Apply

Pay for unpaid Application/DuplicateReceipt

Click here to Edit

Download Admit Card Duplicate Receipt/ View Application Status

Click Here to View Advertisement

आवेदक फार्म भरने से पहले Click here to View Advertisement को क्लिक कर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। इसके उपरांत ही आवेदक Click here to Apply कोक्लिक करें। इसके उपरांत आवेदक को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गईं समस्त जानकारियां को सही-सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन **Upload Image** दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना फोटो-हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के दाहिनी ओर आवेदक को फोटो-हस्ताक्षर के (प्रारूप हेतु इस लिंक्स) दिखाई देंगी। *Links*को क्लिक करने पर फोटो हस्ताक्षर के फार्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फार्मेट को स्कैन कर **jpg** फार्मेट में ही सेव करें। अब आवेदक **Upload Image** बटन क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो-हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करे।

आवेदक फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर ले कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई हैं वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही **Submit** बटन दबाए। इससे आवेदक को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए **Proceed to Payment** बटन दबाएगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगेः-

1. इंटरनेट बैंकिंग (सभी राष्ट्रीयकृत बैंक)
2. क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड (मान्य कार्ड जैसे **Visa,Rupay,Master Card,Maestro card)**

इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान - आवेदक चाहे तो स्वंय घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिग से कर सकता है। इसके लिये आवेदक के पास स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया अथवा युनियन बैंक ऑफ इण्डिया की नेट बैंकिग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक फार्म भरने के उपरांत Proceed to Payment का बटन दबाएगा। यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिग आप्शन दिखाई देखा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई डी पासवर्ड डालकर लागिन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक अकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलता पूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नम्बर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य ले एवं संभालकर रखे।

क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान - आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वंय इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिये Proceed to Payment का बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर आईसीआईसीआई बैंक का पैमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कंफर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूर्ण होने के पश्चात कम्प्यूटराईजड रसीद प्राप्त होगी जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखे।

सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नंबर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें।

8. **एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म / परीक्षा शुल्क भरने की विधिः-**

आवेदक आवेदन फार्म भरने के लिए अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालक https://www.mponline.gov.in वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लागिन टाइप में कियोस्क सिलेक्ट कर लागिन करेगा। इसके उपरांत सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में MPPSC सिलेक्ट कर सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियां आवेदक को उपलब्ध कराएगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ ले ताकि मांगी गई समस्त जानकारियां फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरांत आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जावे। कियोस्क आवेदक का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गईं समस्त जानकारियां अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदक सभी जानकारियां सही-सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का कहे। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर दो पृष्ठीय कम्प्यूटराइज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी।

आवेदक इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और तथा अपने पास संभाल कर रखें।

जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का ही होगा।

9. यदि आवेदक के पास क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गये फार्म का कियोस्क के माध्यम से Pay for unpaid Application/ Duplicate Receipt लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता हैः-

इसके लिए आवेदक को उपरोक्त बताये गये बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गये फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरांत कियोस्क संचालक Pay for unpaid Application/ Duplicate Receipt लिंक पर क्लिक कर उक्त जानकारियां भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक द्वारा भरी गई समस्त जानकारियाँ अंकित होंगी।

- आवेदकों से निवेदन है कि "ऑनलाइन आवेदन" की पावती पृष्ठ की प्रति भविष्य के लिए संभाल कर रखें।
- ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा या एमपीऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।

नोटः- यदि आपको ऑनलाइन फार्म में भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर तत्काल संपर्क करें

एमपी ऑनलाइन लिमिटेड
निरुपम शापिंग मॉल
द्वितीय तल अहमदपुर
होशंगाबाद रोड,
भोपाल-422026 ,हेल्पलाइन - 0755-4019400

2. **अन्य निर्देश/जानकारी :-**

1 राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा में आवेदक का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है, क्योकि आयोग ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक योग्यता/ जन्मतिथि/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग/ मूल निवासी प्रमाण पत्र/ विधवा/ परित्यक्ता/ तलाकशुदा/ भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र आदि नहीं मांग रहा है अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न न करें । समस्त प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा हेतु सफल आवेदको द्वारा मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना है तथा साक्षात्कार के समय मूलतः प्रस्तुत करना है ।

2 राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिये केवल अनुवीक्षण [Screening] परीक्षा होती है । उम्मीदवारों के अंतिम चयन में इस परीक्षा में प्राप्तांकों को नही जोड़ा जाएगा ।

3 राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की अंकसूचियॉ जारी नहीं की जाती है ।

4 आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

5 आवेदक को आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, परीक्षा का नाम, पंजीयन क्रमांक, अनुक्रमांक परीक्षा केन्द्र,

पूर्ण पता तथा मोबाइल नंबर लिखना चाहिए ।

6 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान ई-मेल आई.डी. पर ही आयोग द्वारा आवश्यक होने पर पत्र-व्यवहार किया जाएगा । अभ्यर्थी के ई-मेल आई. डी. में परिवर्तन की दशा में अभ्यर्थी को तत्काल नये ई-मेल आई.डी. की सूचना आयोग को आवश्यक पत्र व्यवहार हेतु लिखित में देनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा ई-मेल आई. डी. परिवर्तन की स्थिति में नये ई-मेल आई. डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र व्यवहार पुराने ई-मेल आई. डी. पर ही किया जाएगा जिसके फलस्वरूप आवेदक को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में आवेदक का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

आवेदक अपने वर्तमान डाक पते में परिवर्तन के संबंध में भी आयोग को तत्काल लिखित में सूचना प्रेषित करे।

7 परीक्षा के समय परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक व प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। अनुचित साधन का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास, दी गई ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्न पत्र को क्षति पहुँचाना, धौंस डपट देना, शारीरिक क्षति पहुँचाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/ अधिकारियों के निर्देशों की अवमानना करना, दुव्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण,परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका जमा न करना आदि को दण्डनीय माना जायेगा ।

8 **पहचान चिन्ह:-** ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें । यदि उम्मीदवार उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक या अन्य अंकए अपना नाम या अन्य नाम या किसी प्रकार का चिन्ह लगायेंगे तो उसे पहचान चिन्ह बनाया माना जायेगा । ऐसे पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदक को नोटिस देना अनिवार्य नहीं होगा तथा बिना किसी सूचना के उसकी उम्मीदवारी तथा परीक्षा निरस्त की जा सकेगी ।

9 परीक्षा परिसर तथा साक्षात्कार कक्ष में मोबाईल फोन या अन्य संचारी यंत्र वर्जित है ।

10 उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि सभी स्थानों अर्थात उनके आवेदन पत्र, परीक्षा हाल में उपस्थिति सूची पर तथा आयोग के साथ किये गये समस्त पत्र व्यवहार में उनके व्दारा किये गये हस्ताक्षर एक समान होने चाहिए । इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिये यदि विभिन्न स्थानों पर उनके व्दारा किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग व्दारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है ।

11 आवेदक की अर्हता/पात्रता हेतु देखिए राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 के नियम 6 ,8, 9,10 एवं 12 तथा दंड/ शास्ति हेतु देखिये नियम 14

3. आवेदन की अंतिम तिथि:-

ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 08.01.2017 है । अंतिम तिथि को रात्रि 12.00 के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी ।

4. नियोक्ता की अनापत्ति:-

जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवक के रूप में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, (जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नही है) या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत है, उनको यह अभिवचन [Under taking] (जैसा कि ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र की घोषणा में छपा है) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया है । उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को चयन के किसी भी स्तर पर उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिये आवेदन करने से संबंद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

5. आवेदक को प्रारम्भिक परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ कोई प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नही है। निम्नांकित समस्त प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाने आवश्यक होंगें ।

<u>आयु संबंधी प्रमाण के लिये</u> - केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जायेगा ।

<u>शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र</u>- हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है । समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की सत्यापित अंकसूचियां। <u>उपाधि संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा</u>।

<u>जाति प्रमाण-पत्र</u>- उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण अथवा अन्य किसी रियायत के लिए दावा करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति अपलोड करना चाहिए।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है, अनुप्रमाणन पत्र के साथ अनिवार्यतः अपलोड करना चाहिए। विवाहित महिलाओं के मामले में उसके पिता के नाम का उल्लेख करने वाला जाति प्रमाण-पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में जाति प्रमाण पत्रों में यह प्रमाणन आवश्यक है कि आवेदक क्रीमी लेयर में नहीं आता है । जिन प्रमाणपत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे किसी भी प्रकार की छूट हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे।अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रारूप में घोषणा.पत्र (Declaration) अपलोड करना होगा कि वे शासन द्वारा अभिनिर्धारित नवीनतम मापदंडों के अनुसार क्रीमी लेयर में नहीं आते:-

टीप: क्रीमी लेयर में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं -------------------- आयोग के विज्ञापन क्रमांक 06/2017 दिनांक 12.12.2017 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मै निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं

1. मै ----------------पुत्र/पुत्री श्री------------------ निवासी ग्राम/ कस्बा/ शहर/------------जिला -----------,मध्य प्रदेश का/ की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/ करती हूं कि मै --------------जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मै शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/ करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7-28/2009/आ.प्र./एक , भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2013 में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मै सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूं।
दिनांक :- ---------------

हस्ताक्षर.............................
नाम......................................
रोल नंबर -----------

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करें)

यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय मूल जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति मूलतः प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसकी अभ्यर्थिता अस्वीकृत कर दी जाएगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी के किसी वचन पत्र अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाएगा। वांछित प्रमाण.पत्रों के अभाव में किसी शिथिलीकरण/ रियायत की पात्रता के बारे में विचार नहीं किया जाएगा।

शासकीय सेवको/भूतपूर्व सैनिकों को देय छूट हेतु नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र ।

अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत देय छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र ।

विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को देय छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र ।

महत्वपूर्ण टीप :- उपरोक्त में से आवेदक द्वारा प्रस्तुत सत्यापित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतिया साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

6. **कदाचरण और उसके लिए कार्यवाही:-** कोई अभ्यर्थी, जो आयोग द्वारा निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है:-

01 जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो या वैसा करने का प्रयास किया हो, या

02 प्रतिरूपण किया हो; या

03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

04 कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन किए हो जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन का आश्रय लिया हो, या

07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृन्द को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

09 उनके प्रवेश-पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृन्द द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो, या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

11 परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि अभ्यर्थी कर्तव्यरत अधीक्षणकर्ता (इनविजिलेटर) के पास उसकी ओ.एम.आर. शीट जमा करने में असफल रहता है या ओ.एम.आर.. शीट को क्षति पहुंचाता है, या

12 परीक्षा के पूर्व किसी भी रीति से प्रश्नपत्र अभिप्राप्त करता है या उसके लिए प्रयास करता है, तो आयोग-

(एक) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहरा सकेगा और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा, ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(दो) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा मे हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(तीन) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

<u>एवं तब शासन द्वारा उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा ।</u>

7. **प्रवेश पत्र -**

01 अभ्यर्थी को राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, यदि:-

(क) वह, आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र धारण न करता हो, और

(ख) वह, आयोग द्वारा जारी विज्ञापन/ प्रवेश-पत्र में उल्लिखित फोटो परिचय-पत्रों की कोई एक मूल फोटो परिचय-पत्र धारण न करता हो, और

(ग) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र के संलग्न फोटो से उसके चेहरे का मिलान न होता हो, और

(घ) आयोग द्वारा जारी किये गये प्रवेश-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो का, आयोग द्वारा विहित उसके द्वारा लाये गए फोटोयुक्त परिचय-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो से मिलान न होता हो।

02 प्रवेश पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जायेंगे । प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com एवं www.mppsc.nic.in तथा https/: www.mponline.gov.in पर दिनांक 01.02.2018 से 16.02.2018 तक उपलब्ध होंगे । आवेदको को वेबसाइट से ही परीक्षा के प्रवेश पत्र प्राप्त करना होंगे । इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। प्रवेश पत्र एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से डाउनलोड करने पर पांच रूपये पोर्टल शुल्क देय होगा।

03 यदि प्रवेश पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो आयोग अथवा एम.पी. ऑनलाइन से संपर्क करें ।

04 यदि किसी आवेदक का नाम नामिनल रोल में सम्मिलित नहीं है परन्तु उसे प्रवेश पत्र प्राप्त हो चुका है तो वह केन्द्राध्यक्ष से मिलकर अपना प्रवेश पत्र प्रस्तुत करें । केन्द्राध्यक्ष संतुष्ट होने पर उसे उसी केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करेंगे ।

05 अत्यंत महत्वपूर्ण - आवेदक कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र के साथ निम्न मान्य मूल फोटो युक्त पहचान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने एवं उससे आवेदक की पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी:-

1	पासपोर्ट	6	शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र
2	मतदाता पहचान पत्र	7	बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक
3	ड्रायविंग लायसेंस	8	शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र
4	पैन कार्ड	9	राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय पत्र
5	आधार कार्ड		

परीक्षाओं में सफल आवेदकों को साक्षात्कार के समय भी फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक स्वप्रमाणित छायाप्रति लेकर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है। फोटो परिचय पत्र द्वारा आवेदक की पहचान की पुष्टि न होने पर आवेदक को साक्षात्कार देने की अनुमति प्रदान नहीं कि जावेगी।

06 आयोग व्दारा अंतिम चयन सूची जारी किये जाने के पश्चात् लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार की संयुक्त अंक सूची आवेदकों को

ऑनलाइन उपलब्ध करायी जायेगी। आयोग द्वारा पहचान चिन्ह प्रकरण एवं अनुचित साधन प्रयोग करने वाले आवेदकों की परीक्षा निरस्त की जाएगी । अतः ऐसे आवेदकों की अंक सूची ऑनलाइन उपलब्ध नही करायी जायेगी।

07 विज्ञापित पदों का अग्रमान्यता पत्रक साक्षात्कार के समय आवेदकों से प्राप्त किया जाता है तथा इसी अग्रमान्यता पत्रक के अनुसार गुणानुक्रम में आवेदकों का चयन किया जाता है । आवेदकों द्वारा अग्रमान्यता पत्रक प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें परिवर्तन/संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा । अतः अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे अग्रमान्यता पत्रक भरते समय विशेष सावधानी बरते।

08 मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिये जो पद आरक्षित किए गए है ऐसे आवेदक जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित आवेदक मान्य नहीं होंगे) उन्हें भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है । नमूना निम्नानुसार है:-

अभिवचन (**Undertaking**) का प्रारूप

मैंने राज्य वन सेवा परीक्षा-2018 के विज्ञापन क्रमांक 06/2017 दिनांक 12.12.2017 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत किया है तथा मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। अतः भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षित पद के विरूद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत मान्य किया जाये। भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर..............................
नाम.....................................
रोल नंबर ....

(उक्त अभिवचन पत्र एवं प्रमाण-पत्र मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड करें)

8 **राज्य वन सेवा परीक्षाओं के पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-**

(अ) राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा

01. राज्य वन सेवा प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम केवल "रोजगार और निर्माण" समाचारपत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in, www.mppsc.com पर प्रकाशित किया जायेगा। आवेदक को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जावेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जावेगा।
02. राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा परिणाम के साथ ही मुख्य परीक्षा के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनायें प्रकाशित की जावेगी। अत: सफल आवेदक उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही मुख्य परीक्षा से संबंधित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में उल्लेखित मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जमा करें तथा अपनी पात्रता आए संबन्धित सभी अभिलेख अपलोड करें।
03. मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक मुख्य परीक्षा का आवेदन जमा न करने पर आवेदक की उम्मीदवारी समाप्त हो जावेगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किये नस्तीबद्ध किया जायेगा।

(ब) राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा

01. राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा का परिणाम केवल "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in, www.mppsc.com पर प्रकाशित किया जायेगा। आवेदक को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जायेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जावेगा।
02. राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा के परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनायें प्रकाशित की जावेगी। अत: सफल आवेदक उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबंधित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें तदनुसार साक्षात्कार हेतु उपस्थित हों । साक्षात्कार के समय आवेदन पत्र में दी गयी योग्यता, उम्र, जाति एवं अन्य जानकारियों से संबंधित प्रमाण-पत्र के साथ सभी मूल प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
03. केवल उन्ही अभ्यार्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित किया जावेगा जिन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए गए अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात अर्ह पाया जायेगा।

9 **परीक्षा हेतु वर्जित वस्तुए :-** परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व पुलिस / केंद्र पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी द्वारा तलाशी (Frisking) की

जावेगी । जिससे कि परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार की वर्जित वस्तुऐं अन्दर न ले जा सके ।

सामान्यतः परीक्षाओं में ऐसा पाया गया है कि परीक्षार्थी अपने कपड़ों, कफलिंक, चश्मा, जूते.मोज़े, हाथ के बैंड, हाथ के बंधे बंधन इत्यादि में नाना प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करते हैं। अतः परीक्षा में किसी इलेक्ट्रानिक डिवाइस के उपयोग को रोकने के लिए परीक्षा कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षार्थी चप्पल व सैंडल पहनकर आ सकते हैं । चेहरे को ढककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। एसेसरीज जैसे बालों को बांधने का क्लचर/ बक्कल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्मे, पर्स, वालेट, टोपी वर्जित हैं।

सिर, नाक, कान, गला, हाथ, पैर, कमर में पहने जाने वाले सभी प्रकार के आभूषण तथा हाथ में बंधे धागे/ कलावा/ रक्षा सूत्र आदि का सूक्ष्मता से परीक्षण कर वीक्षकों द्वारा परीक्षार्थी के कक्ष में जाने के पूर्व तलाशी ली जाएगी ।

10. यात्रा व्यय का भुगतान -

(अ) मध्य प्रदेश के ऐसे मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को कहीं सेवारत नहीं है, मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित वर्तमान पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने जाने के यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केंद्र पर केंद्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा । आवेदकों को इसके लिये केंद्राध्यक्ष को वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होगा:-

1. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराये की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो ।

(द) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की स्केन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुने।

(फ) जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने हेतु देय यात्रा भत्ता का ऑनलाइन भुगतान प्राप्त नहीं होता है वे इस संदर्भ में कलेक्टर/ कमिश्नर कार्यालय से पत्र व्यवहार करें। इस संदर्भ में आयोग से कोई पत्र व्यवहार न करें। इस संदर्भ में आयोग में प्राप्त पत्र बिना किसी कार्यवाही के नस्तीबद्ध किए जायेंगें।

(ज) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

परिशिष्ट-तीन

राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा हेतु

आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश

टीप - ओ.एम.आर.शीट का मूल्यांकन आप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जावेगा अतः ओ.एम.आर.शीट का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यन्त सावधानी पूर्वक करें।

1 आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम दो काले बाल पाईन्ट पेन अवश्य लाए।

2 गोले भरते के लिए केवल काला बाल पाईन्ट पेन का ही उपयोग करें। गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा अस्पष्ट या हल्का काला करने पर ओ.एम.आर. शीट स्कैनर द्वारा नहीं जांची जा सकेगी।

3 ओ.एम.आर.शीट पर किसी प्रकार का रफकार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्नपत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है।

4 ओ.एम.आर. शीट अत्यन्त सावधानीपूर्वक रखें। उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा।

5 उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. शीट पर सभी प्रविष्टियाँ सही रूप से की गई है।

6 आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले को काला करने पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेन्सिल या स्याही से काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे (✓) या (✗) लगाने पर ओ.एम.आर. शीट कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर द्वारा नहीं पढ़ी जायेगी।

7 **ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर अंकन के लिये - सामान्य निर्देश -**

(अ) प्रश्नों के उत्तर: ओ.एम.आर. शीट पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए है। इन्हें ध्यान से पढ़े। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ओ.एम.आर. शीट पर आवश्यक संख्या लिखी है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले ए.बी.सी.डी. बने है। प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर ए.बी.सी.डी. दिए है। इनमें से एक उत्तर सही है, सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने बने गोलों में से केवल एक गोला काले बाल पाईन्ट पेन से गहरा काला करें। सेट का कोड ए.बी.सी.डी. अंकन न करने पर मूल्यांकन नहीं होगा ।

(ब) ओ.एम.आर. शीट के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, जन्मतिथि, परीक्षा तिथि, विषय का कोड आदि भरने के लिये बने खानों में प्रविष्टि के लिये काले बाल पेन का उपयोग करें। प्रश्न पत्र ABCD set में दिए जायेंगें। अपने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर भरें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें।

(स) हस्ताक्षर - ओ.एम.आर. शीट पर निर्धारित स्थान पर बाल पेन से हस्ताक्षर करें।

(द) ओ.एम.आर. शीट के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, जन्मतिथि, श्रेणी, विषय संकेतांक के कालम के गोलों में प्रविष्टि करने के लिये काला बाल पाईन्ट पेन का उपयोग कर संबंधित क्रमांक के गोले को काला करें। अभ्यर्थी उसे आवंटित 'प्रश्न पत्र के सेट कोड ध्यान से देखें तथा सेट की जानकारी सुनिश्चित होने के पश्चात ही प्रश्न पत्र के सेट कोड के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। इसी काले किए गए कोड (ABCD के गोले) के आधार पर ही उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जायेगा। सेट कोड गलत भरने पर त्रुटि सुधार नहीं होगा। मूल्यांकन अभ्यर्थी द्वारा भरे गये सेट कोड की उत्तर कुंजी के आधार पर होगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वंय जिम्मेदार होगा ।

8. **रोल नम्बर की प्रविष्टि (चित्र एक)**

रोल नं. चित्र 1

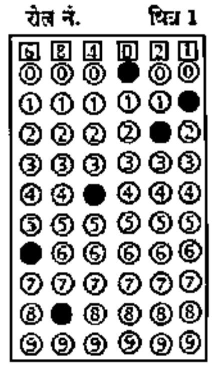

रोल नम्बर के खाने में बायें से दायें 1 से 6 तक स्तम्भ है। पहला स्तम्भ का लाख का, दूसरा स्तम्भ दस हजार का, तीसरा स्तम्भ हजार का, चैथा स्तम्भ सैकड़े का, पांचवा स्तम्भ दहाई का एवं छटा स्तम्भ इकाई का है। इनके नीचे 0 ने 9 अंक लिखे हुए गोले है। इन्हीं में आपको अपने रोल नम्बर भरना है। उदाहरणार्थ यदि आपका रोल नं. 684021 है तो आप पहले ऊपर की लाईन में चैकोर खानों में दर्शाये अनुसार रोल नम्बर काला बाल पाईन्ट पेन से लिखें तत्पश्चात पहले स्तम्भ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 4, चैथे स्तम्भ के गोले क्रमांक 0, पांचवे स्तम्भ के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्तम्भ के गोले क्रमांक 1 को काला बाल पाईन्ट से गहरा काला करें। अनुक्रमांक के गोले न भरने पर या गलत भरने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अंकों में तथा गोले भरने में भिन्नता होने पर भी ओ.एम.आर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा ।

9. जन्मतिथि की प्रविष्टि (चित्र दो)

जन्मतिथि के खाने में दिनांक (DD) मास (MON) तथा वर्ष (YY) इस तरह तीन कॉलम बने है। आप अपनी जन्मतिथि के अनुसार उपर्युक्त खानों को भरे। जैसे आपकी जन्मतिथि 15 सितम्बर 1971 है तो आप (YY) के कॉलम में दहाई के खाने में 1 का तथा ईकाई के खाने में 5 का गोला गहरा काला करेंगें। मास के कॉलम में SEP के सामने का गोला गहरा काला करेंगे तथा वर्ष के कॉलम में दहाई के खाने में 7 का तथा ईकाई के कॉलम में 1 का गोला गहरा काला करेंगें।

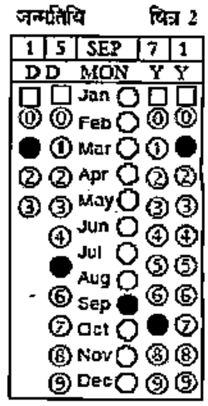

10. श्रेणी की प्रविष्टि (चित्र तीन)

इस खाने में 2 स्तम्भ दिये गये है पहला स्तम्भ दहाई दूसरा स्तम्भ ईकाई का है इनके नीचे 0 से 4 तक के अंक दिये गये है आप अपनी श्रेणी कोड नंबर के अनुसार उपर्युक्त गोलों को काला बाल पाईन्ट पेन से गहरा काला करें। जैसे - यदि आपकी श्रेणी 02 है तो दहाई के कॉलम में 0 तथा ईकाई के कॉलम में 2 को काला करें। श्रेणी न भरने पर आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा।

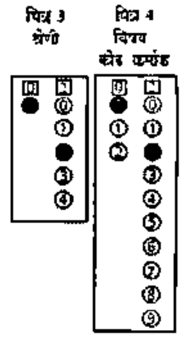

11. विषय कोड क्रमांक प्रविष्टि (चित्र चार)

का तरीका उदाहरणार्थ यदि आपका विषय कोड क्रमांक
02 है तो दहाई के कॉलम में 0 को काला बाल पाईन्ट पेन से गहरा काला करें तथा ईकाई के दूसरे कॉलम में 2 को काला करें।

चित्र- चार

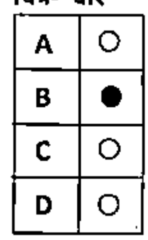

परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश

निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी आयोग द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा।

एक - प्रवेश

01 परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितांत प्रावधिक है।

02 परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी। केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रामाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया जायेगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

03 परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र अपने साथ रखें।

04 अर्हता सुनिश्चित करने का पूर्ण दायित्व परीक्षार्थियों का स्वयं का है वे आश्वस्त हों कि नियमों के अधीन वे परीक्षा में प्रवेश की अर्हता रखते है। यदि ऐसा न हो तो वे परीक्षा में न बैठे।

05 परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा परीक्षार्थी की मुख्य द्वार पर जाँच की जाएगी। अतः परीक्षार्थी अपने साथ केवल दो काले बाल पाईन्ट पेन एवं प्रवेश पत्र अनिवार्य रूप से साथ ले जाऐं। इसके अतिरिक्त मोबाईल, केलक्युलेटर पेजर आदि के ले जाने की अनुमति नहीं है।

दो - निर्गमन

01 सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी। वीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा।

02 किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी। भले ही उसने प्रश्नपत्र हल कर लिया हो।

03 प्रश्नपत्र हल करने के पश्चात् केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक द्वारा ओ.एम.आर. शीट एकत्रित किये जाने के उपरांत वीक्षक की अनुमति से ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा। ओ.एम.आर. शीट सहित कक्ष से बाहर जाना अनुचित साधन प्रयोग के समान दंडनीय है।

04 निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जायेगा (केवल दृष्टिबाधित तथा ऐसे अस्थिबाधित जो दोनों ही हाथों से लिखने में असमर्थ हैं तथा जिन्होंने सहलेखक की सुविधा ली है, ऐसे आवेदकों को प्रारंभिक परीक्षा में 20 मिनिट एवं मुख्य परीक्षा में 20 मिनिट प्रति घण्टा अतिरिक्त समय दिया जायेगा।)
निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।

तीन - नाम और अनुक्रमांक

ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखे। ओ.एम.आर. शीट के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और ना ही पता अंकित करें। ओ.एम.आर. शीट के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है। ओ. एम. आर. ओ.एम.आर. शीट में आपको दिये गये A, B, C, D में से कोई एक सेट मिलेगा) प्रश्नपत्र का सेट अवश्य लिखें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें। आपके द्वारा प्रश्नपत्र सेट के गोले को काला करने पर ही उक्त सेट की उत्तर कुंजी से ही इसका मूल्यांकन होगा। जैसा चित्र में सेट- B को काला किया है।

चार - अनुचित साधन

परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित करें कि उनकी सीट के निकट, उनके पास कम्पास, स्केल या पॉकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या अनावश्यक कागज Electronic Gadge इत्यादि जो परीक्षा में प्रश्नपत्र हल करने में सहायक होए न हों,वे अनुचित साधन के प्रयोग से बचें।

परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनो का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दण्डनीय है। परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप विशेषकर मोबाइल, इलेक्ट्रानिक उपकरण तथा अन्य वर्जित वस्तुएं आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित माना जायेगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी ओ.एम.आर.शीट से नकल करना अथवा अपनी शीट से अन्य परीक्षार्थी को नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से ओ.एम.आर. शीट बदलना, परीक्षा भवन में बोलना अथवा किसी प्रकार से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अन्तर्गत माना जायेगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिये जो आयोग उचित समझे आयोग की सभी परीक्षाओं, अन्य आयोगों की परीक्षा एवं साक्षात्कारों से वंचित किये जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।

परीक्षा की गोपनीयता रू. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रश्न.पत्र के लीक होने की गतिविधि में लिप्त पाये जाते है उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा तथा अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

पांच - प्रश्न पत्र संबन्धित शिकायत

यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्नपत्र से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत हो तो उसे परीक्षा के माडल उत्तर प्रकाशन के 07 दिन के अंदर निर्धारित शुल्क (100 रुपये प्रति प्रश्न तथा पोर्टल चार्जद) जमा कर ऑनलाइन पद्वति से दर्ज कराये । परीक्षा के माडल उत्तर प्रकाशन के 07 दिन के अंदर ऑनलाइन पद्धति से दर्ज शिकायतों पर ही विचार किया जायेगा। इसके पश्चात प्राप्त आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा।

छः - ओ.एम.आर.शीट का लौटाना -

परीक्षा के उपरान्त ओ.एम.आर. शीट कक्ष के वीक्षक को ही सौपेंगें। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में ओ.एम.आर. शीट परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना कदाचरण माना जायेगा और उसके लिये उसे उस तरह दंडित किया जावेगा, जिस तरह अनुचित साधनों के प्रयोग से दंडित किये जाने का प्रावधान है।

सात - ओ.एम.आर.शीट पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य पूर्तियाँ

1 ओ.एम.आर.शीट पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड के सही गोले भरे। साथ ही प्रश्न पत्र सेट और भी अत्यंत सावधानी से भरें एवं सेट के गोले को काला करें।

2 ओ.एम.आर. शीट पर कोई दाग/चिन्ह न लगने पाए, इस बात की सतर्कता बरतें।

आठ - **प्रश्नपत्र पर अंकन**

परीक्षार्थी प्रश्नपत्र पर भी अनुक्रमांक लिखे तथा रफ कार्य प्रश्नपत्र में दिये गये पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्नपत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्नपत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

नौ - **उपस्थिति पत्रक**

प्रत्येक प्रश्नपत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हों। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिखें।

दस - **विविध**

1 परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्नपत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेंन्सिल उपलब्ध नहीं कराया जायेगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेंन्सिल परीक्षा भवन में नहीं लाऐंगें।

2 परीक्षार्थियों को अपने साथ डिजीटल डायरी, वॉच, केल्क्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर तथा अन्य electronic gadgets लाना वर्जित है।

ग्यारह - परीक्षार्थी ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्नपत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं/निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़े व अनिवार्यता से उनका पालन करें।

बारह - **अनुशासन व शालीनता**

1 परीक्षा कक्ष में धूम्रपान करना / अशिष्ट, अनर्गल वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है।

2 परीक्षा परिसर में एवं भवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है।

3 परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाना चाहिए। यह दण्डनीय है।

4 यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट उद्न्ड आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा।उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिये गये है कि ऐसे परिक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किये जाए। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।

तेरह - उक्त परीक्षा मे सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा पूर्व सघन जांच की जायेगी, इस हेतु अभ्यर्थियों की सूचना हेतु वर्जित वस्तुओं की जानकारी निम्नानुसार प्रकाशित की जा रही है -

परीक्षा हेतु वर्जित वस्तुएं -

सामान्यतः परीक्षाओं में ऐसा पाया गया है कि परीक्षार्थी अपने कपड़ों, कफलिंक,चश्मा,जूते-मोज़े हाथ के बैंडए हाथ के बंधे बंधन इत्यादि में नाना प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करते हैं। अतः परीक्षा में किसी इलेक्ट्रानिक डिवाइस के उपयोग को रोकने के लिए परीक्षा कक्ष में जूते.मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षार्थी चप्पल व सैंडल पहनकर आ सकते हैं। चेहरे को ढक कर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। एसेसरीज जैसे बालों को बांधने का क्लचरध् बक्कल, घड़ीए हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट/धूप में पहने जाने वाले चश्मे/पर्स, वालेट/टोपी वर्जित हैं।

सिर/नाक/कान/गला/हाथ/पैर/कमर में पहने जाने वाले सभी प्रकार के आभूषण तथा हाथ में बंधे धागे//कलावा/रक्षा सूत्र आदि का सूक्ष्मता से परीक्षण कर वीक्षकों द्वारा परीक्षार्थी के कक्ष में जाने के पूर्व तलाशी ली जाएगी ।

परिशिष्ट- चार

राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा हेतु
ऑनलाईन परीक्षा के संबंध में निर्देश

ऑनलाईन परीक्षा के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है-:

परीक्षा पूर्व निर्देश

01 परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in अथवा www.mppsc.com में निर्धारित लिंक पर आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन्मतिथि की प्रविष्टि कर ऑनलाईन प्राप्त कर सकते है। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र क्रमांक गुम गया है तो वे ऑनलाईन रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर, नाम एवं जन्मतिथि डालकर OTP (One Time Password)/ टोल फ्री नम्बर (आयोग द्वारा जारी)/ वेबसाइट पर उपलब्ध know your application number लिंक से प्राप्त कर सकते है।

02 परीक्षा हेतु रजिस्टर्ड आवेदकों को उनके द्वारा चुने गये विकल्प (शहर) के आधार पर रेण्डम विधि से रोल नम्बर प्रदाय किये जावेंगे ।

03 परीक्षार्थियों हेतु निम्न हेल्प लाईन तथा ई-मेल के द्वारा हेल्प डेस्क पर की गई पूछताछ की समुचित व्यवस्था की जाएगी:-

हेल्प लाईन नम्बर- 0731-2700406

ई-मेल- mppsconline@gmail.com

04 आयोग की वैबसाईट पर मॉक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई । अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि कर उक्त सुविधा के माध्यम से ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली से अपने आप को प्रशिक्षित कर सकेगा ।

05 परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के 01:30 घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना आवश्यक है, ताकि उनकी प्रवेश संबंधी आवश्यक कार्यवाही समय रहते की जा सके ।

06 परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रानिक उपकरण एवं अन्य अनावश्यक सामग्री साथ में नहीं लावे तथा अपने हथेलियों पर किसी प्रकार का रंग, स्याही अथवा मेंहदी न लगी हो, क्योंकि इस कारण बायोमेट्रिक दर्ज नहीं हो पाता है ।

07 परीक्षार्थी के परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने पर रजिस्ट्रेशन डेस्क पर परीक्षार्थी के मूल फोटो परिचय पत्र, एडमिट कार्ड, एवं फोटो की जांच प्रवेश पत्र एवं परीक्षार्थी के साथ मिलान किया जायेगा । तत्पश्चात बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (दाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा न होने पर बायें हाथ का अंगूठा एवं दोनों अंगूठे न होने पर बायें/दाएं हाथ की प्रथम उंगली एवं दोनों हाथ न होने की स्थिति में सहलेखक के अंगूठे का वेरिफिकेशन किया जावेगा ।

08 परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व पुलिस द्वारा तलाशी (Frisking) की जावेगी । जिससे कि परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार की वर्जित वस्तुऐं अन्दर न ले जा सके ।

<u>परीक्षा हेतु वर्जित वस्तुयें</u>

सामान्यतऑनलाइन परीक्षाओं में ऐसा पाया गया है कि परीक्षार्थी अपने कपड़ों :, कफ़लिंक, चश्मा, जूतेमोजे-, हाथ के बैंडहाथ में / बंधे बंधन इत्यादि में नाना प्रकार के इलेक्ट्रानिक डिवाइस का प्रयोग करते है। अतमोजे पहनकर प्रवेश -परीक्षा कक्ष में जूते : होगा। परीक्षार्थी चप्पल व सेण्डल पहनकर आ सकते हैं। चेहरे को ढककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। एसेसरीज़ वर्जित बक्कल /जैसे बालों को बांधने का क्लचर, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्में, पर्सवालेट/, टोपी वर्जित है।

सिर, नाक, कान, गला, हाथपैर-, कमर आदि में पहने जाने वाले सभी प्रकार के आभूषण तथा हाथ में बंधे धागेरक्षा /कलावा / सूत्र आदि का सूक्ष्मता से परीक्षण कर वीक्षकों द्वारा परीक्षार्थी के कक्ष में जाने के पूर्व तलाशी ली जाएगी।

09 आयोग द्वारा निम्न फोटो आई-डी कार्ड मान्य किये गये है, इनमें से किसी एक की मूल प्रति साथ में लाना आवश्यक होगा । फोटो आई-डी की फोटोकापी मान्य नहीं की जावेगी।

1. मतदाता परिचय पत्र
2. आधार कार्ड
3. ड्राईविंग लायसेंस
4. पेन कार्ड
5. पासपोर्ट
6. फोटो सहित बैंक पासबुक
7. केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र ।
8. शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के मामले में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र ।
9. अभ्यर्थी का राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो ।

उपरोक्त के अभाव में परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा ।

ऑनलाइन परीक्षा की मुख्य विशेषतायें

10 सम्पूर्ण परीक्षा व्यवस्था सी.सी.टी.वी कैमरों की निगरानी में संचालित की जावेगी ।

11 आयोग द्वारा परीक्षार्थी को केन्द्र पर रफ कार्य किये जाने हेतु पेपर एवं पेन की सुविधा प्रदान की जावेगी। रफ कार्य किये जाने हेतु प्रदत्त पेपर परीक्षा समाप्ति पश्चात् परीक्षा कक्ष में छोड़कर जाना होगा ।

12 रजिस्ट्रेशन एवं वेरिफिकेशन के पश्चात् परीक्षार्थी को रूम नम्बर एवं सीट नम्बर अलाट किये जावेगे।

13 ऑनलाईन परीक्षा हेतु सभी केन्द्रों पर आयोग द्वारा केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक एवं तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त किये गये है जो प्रश्नपत्र को आयोग से सुरक्षितरूप में प्राप्त कर केन्द्रों पर परीक्षार्थी के कम्प्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध करायेंगे।

14 परीक्षार्थी को जो मशीन आवंटित की गई है, उस पर सीट नम्बर, मशीन नम्बर, आई.पी एड्रेस, एवं कम्प्यूटर स्क्रीन पर स्वयं का फोटो है, यह सुनिश्चित कर सीट पर बैठे ।

15 परीक्षार्थी अपने रोल नम्बर एवं प्रवेश-पत्र पर अंकित पासवर्ड द्वारा लाग-इन कर सकेंगे ।

16 परीक्षार्थी द्वारा लाग-इन करने के पश्चात् स्क्रीन पर Instruction page, Symbol page display होगा ।

17 परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व परीक्षार्थी के स्क्रीन पर 05 प्रश्न दिये जावेंगे जो आवेदक द्वारा हल किये जावेगे तत्पश्चात स्क्रीन पर माडल आंसर उपलब्ध होगा जिससे परीक्षार्थी अपने उत्तर चेक कर सकेगा । उक्त प्रक्रिया को परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व अधिकतम 03 बार दोहराया जा सकेगा, जिससे परीक्षार्थी स्वयं यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उसके कम्प्यूटर का माउस उसके द्वारा चाहे गये विकल्प पर ही क्लिक हो रहा है। उक्त प्रक्रिया में यदि किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न होती है तो वह कक्ष में उपस्थित वीक्षक/तकनीकी सहायक को उक्त संबंध में अवगत कराएगे, जिससे वीक्षक द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जा सके ।

18 परीक्षा के दौरान वीक्षक द्वारा उपस्थिति पत्रक पर परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान लिये जावेंगे तथा वीक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी उसी मशीन पर परीक्षा दे रहा है जो उसे आवंटित की गई है ।

19 प्रत्येक परीक्षार्थी का सत्यापन वेरिफिकेशन शीट के आधार पर बाये/दाये हाथ पर बैठे परीक्षार्थी द्वारा किया जावेगा कि बैठा हुआ परीक्षार्थी उसे आवंटित की गई मशीन पर ही पूरे समय बैठकर परीक्षा दे रहा था ।

20 परीक्षार्थी अपनी सुविधानुसार प्रश्नों को हल कर सकेंगे एवं समय संबंधी अलार्म परीक्षा प्रारंभ होने पर, परीक्षा प्रारंभ होने के 01:00 घण्टे पश्चात, 01:30 घण्टे पश्चात परीक्षा समाप्ति के 10:00 मिनट पूर्व तथा अंतिम अलार्म बजेगा परीक्षा समाप्ति पर बजेगा ।

21 परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु निर्धारित समय में हल किये गये प्रश्नो के उत्तरों को बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे वह चाहे गये प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय में बदल सकेगा ।

22 परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किये जाने पर वीक्षक द्वारा तत्काल प्रकरण तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, प्रकरण तैयार किये जाने के पश्चात् भी यदि परीक्षार्थी पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है तो उसे उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदाय की जा सकेगी, किन्तु यदि परीक्षार्थी आदेश का पालन नहीं करता है तो उसकी परीक्षा निरस्त की जायेगी । उक्त समस्त प्रकरण पर अंतिम निर्णय आयोग द्वारा लिया जावेगा ।

23 यदि परीक्षार्थी हल किये गये उत्तरों को समय समाप्ति के पूर्व सबमिट नहीं करता है तो मशीन स्वतः ही समय समाप्ति पर उत्तरों को सबमिट कर बन्द हो जावेगी।

परीक्षा पश्चात की कार्य प्रक्रिया

24 अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति पश्चात् हल किये गये प्रश्नों के उत्तरों का P.D.F. Form में पुनः अवलोकन कर सकेंगे। अवलोकन किये जाने हेतु 05 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जावेगा जिसके अंतर्गत वे हल किये गये उत्तरों में किसी का बदलाव नहीं कर सकेंगे ।

25 मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) के अभ्यर्थियों को जो कहीं सेवारत नहीं है, को प्रवेश पत्र पर अंकित पते से परीक्षा केन्द्र शहर तक का यात्रा भत्ते का भुगतान ऑनलाइन पद्वति से किया जायेगा;

इस हेतु अभ्यर्थियों को वांछित घोषणा-पत्र तथा निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है:-

- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की फोटो कापी-
- यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा का विवरण तथा राशि का स्पष्ट उल्लेख हो जाति प्रमाण पत्र की फोटो कापी जमा करने पर ही प्रदान किया जायेगा ।

26 परीक्षा समाप्ति पश्चात् हल किये गये प्रश्नों एवं दिये गये उत्तरों की उत्तरपुस्तिका एवं प्रावधिक उत्तर कुंजी अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड ई-मेल आई-डी पर भेजी जावेगी ।

27 प्रावधिक उत्तर परीक्षोपरान्त आयोग की वैब साईट पर उपलब्ध रहेंगे ।

28 परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की माडल उत्तर कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा

www.mppsc.com पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी । इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया जाएगा । प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपये शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क तथा पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति मे वापस नहीं किया जाएगा।

प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जायेगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1. ऐसे प्रश्न जिनका मॉडल कुंजी में गलत उत्तर दिया गया है और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है तब मॉडल कुंजी को संशोधित किया जायेगा।
2. आपत्तियों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार पाये गये प्रश्नों को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जायेगा:-
   - ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में सही उत्तर न हो ।
   - ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हों।
   - प्रश्न के हिन्दी तथा अँग्रेजी अनुवाद मे भिन्नता हो
3. विषय विशेषज्ञों द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित की जाएगी ।
4. उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गये प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर प्रारम्भिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

परिशिष्ट-पांच

राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की योजना तथा पाठ्यक्रम

राज्य वन सेवा परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा में भाग लेना होगा तथा अर्ह आवेदक ही राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु पात्र होंगे ।

परीक्षा योजना

1. प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्पीय प्रश्न) के दो प्रश्न पत्र होंगे । प्रत्येक प्रश्नपत्र की रचना निम्नलिखित योजनानुसार की जायेगी:-

प्रथम प्रश्न-पत्र	सामान्य अध्ययन	2 घंटे	200 अंक
द्वितीय प्रश्न-पत्र	सामान्य अभिरुचि परीक्षण	2 घंटे	200 अंक

2. यह परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण के रूप में ली जाती है। इस परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु योग्य/अर्ह घोषित किया जाता है। अंतिम चयनसूची केवल मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर निर्मित की जायेगी।

3. 1. दोनों प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्पीय प्रश्न) के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिये चार सम्भाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स और द में समूहीकृत किया जायेगा, जिनमें से एक सही उत्तर होगा। उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णीत सही माने गये अ, ब, स, या द में से केवल एक उत्तर पर चिन्ह लगाएं।
   2. प्रत्येक प्रश्नपत्र में 2-2 अंक के 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र 200 अंको का होगा तथा प्रत्येक प्रश्नपत्र की समयावधि 2 घंटे होगी।
   3. प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन तथा सामान्य अभिरूचि परीक्षण के विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट-दो में यथा विनिर्दिष्ट हैं।
   4. प्रत्येक प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी में होगा।
   5. प्रारम्भिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों और उसके मॉडल उत्तरों की कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी। अभ्यर्थी 100 रुपये प्रति प्रश्न तथा पोर्टल शुल्क का भुगतान कर आपत्तियां ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेंगें। इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया जाएगा ।

      समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जायेगीरू.

      1. ऐसे प्रश्न जिनका मॉडल कुंजी में गलत उत्तर दिया गया है और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है तब मॉडल कुंजी को संशोधित किया जायेगा।
      2. आपत्तियों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार पाये गये प्रश्नों को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जायेगा :-
         - ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में सही उत्तर न हो ।
         - ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हों।
         - प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता हो।

      विषय विशेषज्ञों द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात मॉडल उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित की जाएगी । अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड होने के पश्चात कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

      उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गये प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर प्रारम्भिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

4. मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापन में दर्शित की गई सेवा तथा पदों के विभिन्न प्रवर्गो से भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या से 15 गुना होगी तथा समान अंक प्राप्त (वर्गवार/श्रेणीवार) उम्मीदवारो को भी मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किया जायेगा। केवल वे ही उम्मीदवार, जिन्हें आयोग ने संबंधित विज्ञापन के अधीन प्रारंभिक परीक्षा में अर्ह घोषित किया हो, मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये पात्र होंगे। मुख्य परीक्षा की पात्रता हेतु उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग श्रेणी के उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक 30 प्रतिशत होंगे।

   विशेष:- राज्य सेवा परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर कुल विज्ञापित पदों के 15 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किया जायेगा, दोनों सेवाओं, यथा राज्य सेवा परीक्षा तथा राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु पृथक-पृथक अर्ह आवेदकों की गुणानुक्रम सूची तैयार की जाएगी।

राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम

प्रथम प्रश्नपत्र: सामान्य अध्ययन

1 सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण

सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण (पर्यावरणीय परिस्थितिकी, जैव विविधता तथा मौसम परिवर्तन) पर प्रश्नों में दैनंदिन (रोजमर्रा) अवलोकन एवं अनुभव से सम्बन्धित प्रश्न जो किसी भी शिक्षित व्यक्ति द्वारा अपेक्षित है और जिन्होंने इन विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया हो , सम्मिलित होंगे।

2 राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ

वर्तमान घटनाओं में प्रमुख राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ज्ञान का परीक्षण किया जावेगा।

3 भारत का इतिहास एवं स्वतंत्र भारत

इतिहास में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक पहलुओं से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। राष्ट्रीय आन्दोलन एवं स्वतंत्र भारत के विकास के प्रश्न भी पूछे जावेंगे।

4 (क) भारत का भूगोल

भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल के सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। इसमें भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों का समावेश होगा तथा भारतीय जनांकिकीय एवं जनगणना से सम्बन्धित प्रश्न होंगे।

(ख) विश्व की सामान्य भौगोलिक जानकारी।

5 भारतीय राजनीति एवं अर्थव्यवस्था

इसमें देश की राजनैतिक व्यवस्था एवं संविधान, पंचायती राज, सामाजिक व्यवस्था, सतत् आर्थिक विकास, चुनाव, राजनीतिक दलों, योजनाएँ, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आर्थिक एवं वित्तीय संस्थाओं पर प्रश्न होंगे।

6 खेलकूद

मध्यप्रदेश, भारत, एशिया एवं विश्व में खेले जाने वाले प्रमुख खेलकूद एवं खेल प्रतियोगिताओं, पुरस्कारों, व्यक्तित्वों तथा प्रतिष्ठित खेल संस्थानों से सम्बन्धित प्रश्न होगे।

7 मध्यप्रदेश का भूगोल, इतिहास तथा संस्कृति

मध्यप्रदेश के भूगोल में पर्वतों के विकास, नदियां, जलवायु, वनस्पतियाँ, जीवजन्तु, खनिज, परिवहन से सम्बन्धित प्रश्न होगे। मध्यप्रदेश के इतिहास एवं संस्कृति में प्रसिद्ध राजवंशों का योगदान, जनजातियां, कला, स्थापत्य कला, ललित कलाओं एवं ऐतिहासिक व्यक्तियों पर भी प्रश्न होंगे।

8 मध्यप्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था

इसमें प्रदेश की राजनैतिक व्यवस्था, राजनीतिक दलों एवं चुनाव, पंचायतीराज, मध्यप्रदेश की सामाजिक व्यवस्था, सतत् आर्थिक विकास से संबंधित प्रश्न होंगे। इसमें उद्योग योजनाए, आर्थिक कार्यक्रम, व्यापार, मध्यप्रदेश की जनांकिकीय एवं जनगणना पर प्रश्न भी सम्मिलित होंगे।

9 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

इसमें अभिलक्षण, प्रयोग और शब्दावलियों, जैसे वेबसाईट, आनलाईन सर्च इंजिन, ई-मेल, वीडियो मेल, चेटिंग, वीडियो कान्फ्रेन्स, हेकिंग , क्रेकिंग, वायरस और सायबर अपराध से सम्बन्धित प्रश्न सम्मिलित होंगे।

10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 एवं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995.

11 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993.

द्वितीय प्रश्नपत्र:- सामान्य अभिरूचि परीक्षण

1 बोधगम्यता

2 संचार कौशल सहित अंतर - वैयक्तिक कौशल

3 तार्किक कौशल एवं विश्लेषणत्मक क्षमता

4 निर्णय लेना एवं समस्या समाधान

5 सामान्य मानसिक योग्यता

6 आधारभूत संख्यनन (संख्यायें एवं उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि -दसवीं कक्षा का स्तर), आंकड़ों का निर्वचन (चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि-दसवीं कक्षा का स्तर)

7 हिन्दी भाषा में बोधगम्यता कौशल (दसवीं कक्षा का स्तर)

टिप्पणीः दसवीं कक्षा के स्तर के हिन्दी भाषा के बोधगम्यता कौशल से संबंध प्रश्नों का परीक्षण, प्रश्नपत्र में केवल हिन्दी भाषा के उद्धरणों के माध्यम से, अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराये बिना किया जायेगा।

PRELIMINARY EXAMINATION
SYLLYBUS

FIRST PAPER: GENERAL STUDIES

1 General Science and Environment

Questions on general science and Environment (Environmental Ecology, Biodiversity & Climate Change) will cover general appreciation and understanding of science including matters of every day observation and experience as may be expected of a well educated person who has not made a special study of any particular scientific discipline.

2 Current Events of National & International Importance

In current events knowledge of significant National and International level will be tested.

3 History of India and Independent India

In History, questions of general knowledge related to social, economic and political aspects will be asked. Also, there will be questions on Indian National Movement and Development of Independent India.

4 (a) Geography of India

There will be questions of general knowledge relating to Physical, social and economic geography. It will also include questions on Indian Agriculture and Natural resources. There will be questions pertaining to demography and census of India.

(b) General Geographical awareness of world.

5 Indian Polity and Economy

Political system and constitution of the country, Panchayati Raj, social system, sustainable economic development, elections, political parties, plans, industrial development, foreign trade and economic and financial institutions.

6 Sports

Important games and sports tournaments, Awards, personalities and Renowned Sports Institutions of M.P., India, Asia and World.

7 Geography, History and Culture of M.P.

There will be questions related to the development of Mountains, rivers, climate, Flora and Fauna, Minerals transportation in the Geography of Madhya Pradesh . It will also have questions relating to important dynasties of M.P., Contribution of important dynasties in the Histroy & Culture of Madhya Pradesh, There will be questions on Tribals, Arts, Architecture, Fine Arts and Historical personalities of M.P.

8 Polity and Economy of M.P.

Political system, Political parties and elections, Pachyati Raj, Social system and sustainable economic development of M.P.. This will also include questions on Industry, Plans, Economic programmes, business, demography and census of M.P.

9 Information and Communication Technology

Questions pertaining to characteristics, uses, and terminologies such as website, online, search engine, e-mail, video mail, chatting, video conferencing, hacking, cracking, virus and cyber crime.

10 Scheduled Caste & Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) 1989 (No.33 of 1989) and the Protection of Civil Rights Act, 1955 (No. 22 of 1955)

11 The Protection of Human Rights Act, 1993.

SECOND PAPER : GENERAL APTITUDE TEST

1 Comprehension

2 Interpersonal skill including communication skill

3 Logical reasoning and analytical ability

4 Decision making and problem solving

5 General mental ability

6 Basic numeracy (numbers and their relations, order of magnitude ect.-Class X level) Data interpretation (charts,

graphs, tables, data sufficiency etc.-Class X level)

7 Hindi Language Comprehension Skill (Class X level)

Note:- Question relating to Hindi Language Comprehension skill of Class X level will be tested through passages from Hindi language only without providing English Translation thereof in the question paper.

राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा -2018

परीक्षा योजना

(अ) अंक योजना :- लिखित परीक्षा हेतु कुल 400 अंक तथा साक्षात्कार हेतु कुल 50 अंक, कुल 450 अंक निर्धारण निम्नानुसार रहेगा :-

लिखित परीक्षा	विवरण	प्रश्न संख्या	अंक
प्रथम प्रश्न-पत्र	सामान्य अध्ययन, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, प्रारम्भिक गणित, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी आदि	100	200
द्वितीय प्रश्न-पत्र	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	100	200
	लिखित परीक्षा के कुल अंक	-	400
साक्षात्कार			50
	कुल अंक		450

(ब) प्रश्न-पत्र योजना

(1) प्रथम प्रश्न-पत्र एवं

(2) द्वितीय प्रश्न-पत्र

प्रथम प्रश्न-पत्र एवं द्वितीय प्रश्न-पत्र अनिवार्य विषय का होगा। समस्त प्रश्न वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्प) प्रकार के होंगे। कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का होगा। इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न-पत्र का पूर्णांक 200 होगा। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प (A,B,C,D) होंगे। प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर (A,B,C,D) में समूहीकृत किया जायेगा। जिसमें से केवल एक ही सही उत्तर होगा

(2) प्रश्न-पत्र की अवधि दो घंटे की होगी। प्रश्न-पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा।

(स) लिखित परीक्षा में उत्तीर्णांक :

लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु आवेदक को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्रत्येक प्रश्न-पत्र में प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परीक्षा में कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।

(द) शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल परीक्षार्थी हो साक्षात्कार में सम्मिलित होंगे।

(घ) साक्षात्कार :-

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर गुणानुक्रम में विभिन्न प्रवर्गों से भारी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदक साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जायेंगें। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगें।

(च) चयन विधि :

अंतिम चयनफल, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में कुल प्राप्त अंकों को जोड़कर प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर घोषित किया जाएगा।

राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2018

पाठ्यक्रम

विषय - सामान्य अध्ययन (प्रथम प्रश्न-पत्र)

1. सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण

सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण पर प्रश्नों में दैनंदिन (रोजमर्रा) अवलोकन एवं अनुभव से सम्बन्धित प्रश्न जो किसी भी शिक्षित व्यक्ति द्वारा अपेक्षित है और जिन्होंने इन विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, सम्मिलित होंगे।

2. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ

वर्तमान घटनाओं में प्रमुख राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ज्ञान का परीक्षण किया जावेगा।

3. भारत का इतिहास एवं स्वतंत्र भारत

इतिहास में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक पहलुओं से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। राष्ट्रीय आन्दोलन एवं स्वतंत्र भारत

के विकास के प्रश्न भी पूछे जावेंगे।

4. (क) भारत का भूगोल

भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल के सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। इसमें भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों का समावेश होगा तथा भारतीय जनांकिकीय एवं जनगणना से सम्बन्धित प्रश्न होंगे।

(ख) विश्व की सामान्य भौगोलिक जानकारी।

5. भारतीय राजनीति एवं अर्थ व्यवस्था

इसमें देश की राजनैतिक व्यवस्था एवं संविधान, पंचायती राज, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक विकास, चुनाव, राजनीतिक दलों, योजनाएँ, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आर्थिक एवं वित्तीय संस्थाओं पर प्रश्न होंगे।

6. खेलकूद

मध्यप्रदेश, भारत, एशिया एवं विश्व में खेले जाने वाले प्रमुख खेलकूद एवं खेल प्रतियोगिताओं पुरस्कारों तथा व्यक्तित्वों से सम्बन्धित प्रश्न होगे।

7. मध्यप्रदेश का भूगोल, इतिहास तथा संस्कृति

मध्यप्रदेश के भूगोल में पर्वतों के विकास, नदियां, जलवायु, वनस्पतियाँ, जीवजन्तु, खनिज, परिवहन से सम्बन्धित प्रश्न होगे। मध्यप्रदेश के इतिहास एवं संस्कृति में प्रसिद्ध राजवंशों का योगदान, जनजातियां, कला, स्थापत्य कला, ललित कलाओं एवं ऐतिहासिक व्यक्तियों पर भी प्रश्न होंगे।

8. मध्यप्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था

इसमें प्रदेश की राजनैतिक व्यवस्था, राजनीतिक दलों एवं चुनाव, पंचायतीराज, मध्यप्रदेश की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक विकास से संबंधतिध प्रश्न होंगे। इसमें उधोग योजनाए, आर्थिक कार्यक्रम, व्यापार, मध्यप्रदेष की जनांकिकीय एवं जनगणना पर प्रश्न भी समिमलित होंगे।

9. सामान्य मानसिक योग्यता

संख्यात्मक योग्यता, तर्क, कूट, आंकड़ों का विश्लेषण एवं निष्कर्ष तथा सभ्यता संबंधी प्रश्नों का समावेश होगा।

10. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

इसमें अभिलक्षण, प्रयोग और शब्दावलियों, जैसे वेबसाईट, आनलाईन सर्च इंजिन, ई-मेल, वीडियो मेल, चेटिंग, वीडियो कान्फ्रेन्स, हेकिंग, क्रेकिंग, वायरस और सायबर अपराध से सम्बन्धित प्रश्न सम्मिलित होंगे।

STATE FOREST SERVICE EXAM-2018

SYLLABUS

SUBJECT- GENERAL STUDIES (FIRST PAPER)

1. **General Science and Environment**

Questions on general science and Environment will cover general appreciation and understanding of science including matters of every day observation and experience as may be expected of a well educated person who has not made a special study of any particular scientific discipline.

2. In current events knowledge of significant National and International leveling will be tested.

3. **History of India and Independent India**

In History, questions of general knowledge related to social, economic and political aspects will be asked. Also, there will be questions on Indian National Movement and Development of Independent India.

4. (1) **Geography of India**

There will be questions of general knowledge relating to Physical, social and economic geography. It will also include questions on Indian Agriculture and Natural resources. There will be questions pertaining to demography and census of India.

(2) **General Geographical awareness of world.**

5. **Indian Polity and Economy**

Political system and constitution of the country, Panchayati Raj, social system, economic development, elections, political parties, plans, industrial development, foreign trade and economic and financial institutions.

6. **Sports**

Important games and sports tournaments, Awards and personalities for M.P., India, Asia and World.

7. **Geography, History and Culture of M.P.**

There will be questions related to the development of Mountains, rivers, climate, Flora and Fauna, Minerals transportation in the Geography of Madhya Pradesh . It will also have questions relating to important dynasties of M.P., Contribution of important dynasties in the Histroy & Culture of Madhya Pradesh, There will be questions on Tribals, Arts, Architecture, Fine Arts and Historical personalities of M.P.

8. **Polity and Economy of M.P.**

Political system, Political partities and elections, Pachyati Raj, Social system and economic development of M.P.. This will also include questions on Industry, Plans, Economic programmes, business, demography and census of M.P.

9. **General Mental Ability**

Numerical ability, reasoning, coding, data analysis and interpretation and analogy.

10. **Information and Communication Technology**

Questions pertaining to characteristics, uses, and terminologies such as website, online, search engine, e-mail, video mail, chatting, video conferencing, hacking, cracking, virus and cyber crime.

मध्यप्रदेश का सामान्य परिचय

1. भूगोल

मध्यप्रदेश का सामान्य परिचय, क्षेत्र, भूस्वरूप एवं संरचना, भौतिक एवं भौगोलिक क्षेत्र तथा जलवायु।

2. मध्यप्रदेश के प्राकृतिक संसाधन
   1. खनिज संपदा
   2. वन संपदा एवं वन जीवन
   3. कृषि एवं पशुपालन रू फसलों का क्षेत्रीय वितरण, कृषि का योजनाबद्ध विकास, हरित क्रांति, पशुधन का विकास।
   4. जल संसाधन: सिंचाई का विकास एवं सिंचाई परियोजनाएँ।

3. मानव संसाधन

जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, शहरी एवं ग्रामीण जन संख्या, साक्षरता एवं श्रमशक्ति।

4. उर्जा संसाधन

इसमें परंपरागत एवं अपरंपरागत उर्जा के संसाधन तथा उनके मानवीय जीवन में उपयोग से संबंधित प्रश्न होंगे।

5. उद्योग

इसमें प्रदेश के उद्योगों के प्रकार एवं आकार तथा उनके राज्य की अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव से संबंधित प्रश्न होंगे।

6. पर्यावरण

पर्यावरण एवं उनके संरक्षण, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा तथा इनका मानवीय जीवन की गुणवत्ता पर होने वाले प्रभावों से संबंधित प्रश्न होंगे।

7. योजनाएं एवं मूल्यांकन

इसमें पंचवर्षीय योजनाओं के अभी तक के विभिन्न पहलूओं, विभिन्न कार्यक्रमों जो शहरी एवं ग्रामीण विकास के संबंध में हो तथा आर्थिक योजनाओं के मूल्यांकन तथा देश के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश की सापेक्षित स्थिति से संबंधित प्रश्न होंगे।

8. मध्यप्रदेश की प्रशासनिक संरचना

इसमें मध्यप्रदेश की विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों जैसे संभाग, जिला, तहसील एवं विकास खण्डों का आपसी संबंध एवं प्रशासनिक संरचना से संबंधित अभ्यार्थियों के ज्ञान का परीक्षण करना होगा।

9. ग्रामीण एवं शहरी प्रशासनिक संरचना

पंचायती राज, नगर पालिका एवं नगर निगम की संरचना एवं प्रशासनिक ढ़ांचे से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न अभ्यार्थियों से पूछे जायेंगें।

10. खेलकूद

विविध खेलकूद के लिये संगठन, प्रबंधन एवं सुविधाओं से संबंधित अभ्यार्थियों की जागरूकता का परीक्षण करना होगा। इसमें मध्यप्रदेश के राजकीय पुरस्कारों, व्यक्तित्वों एवं शासकीय तथा अशासकीय संगठनों के योगदान से संबंधित प्रश्न होंगे।

(मध्यप्रदेश की संस्कृति , साहित्य, संगीत , नृत्य ,कला एवं इतिहास)

1. मध्यप्रदेश की संस्कृति

प्रकृति, प्रकार एवं मुख्य-मुख्य बातें तथा मानव जीवन पर उनके प्रभाव से संबंधित प्रश्न होंगे।

2. साहित्य

   1. प्राचीन - कालिदास , भृतहरि, भवभूति व बाणभट्ट।
   2. मध्यकालीन -केशव पद्माकर , भूषण।
   3. आधुनिक - पं. माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्राकुमारी चैहान, गजानन माधव मुक्तिबोध, बालकृष्ण शर्मा, "नवीन" भवनीप्रसाद मिश्र, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, मूल्लारामोजी, डा. शिवमंगल सिंह सुमन तथा नंद दुलारे बाजपेयी।
   4. लोक साहित्य - मध्यप्रदेश की बोलियां । ईसूरी तथा सिंगाजी।

3. संगीत एवं नृत्य परम्परा

   1. संगीत परम्परा - तानसेन , उस्ताद अलाउदीन खॅा , उस्ताद हाफिज अली खॅा , पंडित किशनराव , शंकर पंडित , राजाभैया पूछवाले , उस्ताद अमीर खॅा , कुमार गंधर्व , महाराज चक्रधरसिंह, पंडित कार्तिकराम।
   2. नृत्य परम्परा - लोक संगीत की प्रमुख शैलिया , प्रमुख लोक नृत्य।

4. कलायें

सामान्य प्रवृत्ति के प्रश्नों में भित्ति चित्रकला , लोक चित्रकला , आधुनिक चित्रकला के घराने एवं प्रमुख चित्रकार शामिल होंगे। इसमें प्रमुख लोक कलाओं एवं अन्य विभिन्न रंगमचो से संबंधित प्रश्न भी होंगे।

5. प्रमुख अनुसूचित जनजाति

प्रमुख अनुसूचित जन जातियों के नाम , अभिलक्षण , अधिवास , मुख्य मेले एवं तीज त्यौहार तथा सांस्कृतिक संरचना से संबंधित सामान्य ज्ञान के मूल्यांकन के लिये प्रश्न पूछे जायेंगे। इसमें म.प्र. शासन के व्दारा अनुसूचित जनजातियों के उत्थान से सबंधित कार्यक्रमों पर भी प्रश्न होंगे।

6. संस्कृति के क्षेत्र में म.प्र. शासन के कार्यक्रम

अभ्यार्थियों से साहित्यिक अकादमियों एवं संस्थानों से संबंधित सामान्य ज्ञान के मूल्यांकन के लिये प्रश्न पूछे जायेंगे। संगीत तथा चित्रकला के विविध घराने से संबंधित तथा संस्कृति मेलों से संबंधित प्रश्न होंगे। साहित्य ,संगीत एवं ललितकलाओं में प्रमुख योगदान के लिये शासन व्दारा दिये जाने वाले विभिन्न पुरूस्कारों से संबंधित प्रश्न होंगे।

7. पुरातात्विक विरासत

प्रमुख ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थानों से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे।

8. मध्यप्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मध्यप्रदेश का गठन, मध्यप्रदेश के प्रमुख राजवंशों एवं शासकों पर प्रश्न होंगे। इसमें स्वतंत्रता आन्दोलन में मध्यप्रदेश के योगदान पर भी प्रश्न होंगे।

General Introduction of Madhya Pradesh

1. **Geography**

General Introduction of Madhya Pradesh, area, topography and structure, physical and geographic areas and climate.

2. **Natural Resources of Madhya Pradesh**

   1. Mineral Wealth.
   2. Forest Wealth and Wild Life.
   3. Agriculture and Live stock, Regional distribution of crops, planned development of Agriculture, Green Revolution, Development of Live stock.
   4. Water Resources - Development of Irrigation and Irrigation projects.

3. **Human Resources**

Population, Population Density, Urban and Rural population, Literacy and Labours.

4. **Energy Resources**

Questions will attempt to assess the general awareness of condidates about the conventional and non-

conventional sources of energy and their uses in human life.

5. **Industries**

   Attempt will be made to assess the general awareness of candidates about the types and size of industries and their impact on state economy.

6. **Environment**

   Questions will be related to environment and its protection, pollution, natural climates and their impact on quality of human life.

7. **Planning and Evaluation**

   Attempt will be to assess the general awareness of candidates about different aspect of five year plans till date, various programmes of urban and rural development, economic planning and its evaluation and status of Madhya Pradesh in the context of Country.

8. **Administrative Structure of Madhya Pradesh**

   Questions will be related to general knowledge of candidates about administrative units - Division, District, Tehsil and Development-Blocks; their relationship and administrative structure.

9. **Rural and Urban Administrative Structure**

   Questions will be pertaining to the general knowledge of candidate about organization and administrative structure of Pachayati Raj, Municipality and Municipal corporation.

10. **Games and Sports**

    Attempt will be made to assess the awareness of candidates related to organization, management and facilities for different games and sports. The questions will also be related to different State awards, and personalities and contribution of Government and non Government agencies.

Culture, Literature, Music, Dance, Arts and History of Madhya Pradesh

1. **Culture**

   The questions will be related to nature, types their salient features and impact on human life.

2. **Literature**

   1. Ancient - Kalidas, Bharthari, Bhavbhuti, Vanabhatta.
   2. Medieval - Keshav, Padmakar, Bhushan.
   3. Modern - Pandit Makhanlal Chaturvedi, Subhadra Kumari Chauhan, Gajanan Madhav Muktibodh, Balkrishna Sharma "Navin", Bhavani Prasad Mishra, Harishankar Parsai, Sharad Joshi, Mulla Ramoozi, Shiv-Mangal Singh, Suman and Nanddulare Vajpai
   4. Folk Literature / Dialects of Madhya Pradesh. Isuri, Singaji..

3. **Music & Dance Tradition**

   1. **Music Tradition** - Tansen, Ustad Allauddin Khan, Ustad Hafiz Ali Khan, Pandit Krishna Rao, Shankar Pandit, Rajabhaiya Poonchwale, Ustad Amir Khan, Kumar Gandharva, Maharaj Chakradhar Singh Pandit Kartik Ram.
   2. **Dance tradition** - Major styles of folk music, major folk dances.

4. **Arts**

   Questions of general nature will be related to characteristics of Rock painting, folk panting, modern painting school and important painters. It will also have questions related to major folk and other theatres.

5. **Major Scheduled Tribes**

   It will assess the general awareness of candidates related to names, characteristics, habitats, major fairs and festivals and cultural structure of major scheduled tribes. It will also have questions related to different programmes of State Government for the upliftment of Scheduled Tribes.

6. **Programmes of State Government in the field of Culture**

- The questions will attempt to assess general knowledge of the candidate related to literasy academics and institutions. The questions will also be related to different Music and Fine Arts Schools and Cultural festivals. There will be questions awards given by the state for the significant contribution in the filed of literature, music and fine arts.

7. **Archaeological Heritage**
   The questions of general knowledge will be related to significance and characteristics of major historical, archaeological and tourist places.
8. **Historical perspective of Madhya Pradesh**
   The questions will be related to creation of M.P. and important dynesties and rules of M.P., It will also have questions related to contribution of M.P. in freedom movement.

GENERAL ENGLISH

The syllabus for the examination General English will be as follows-

The objective type question paper will carry maximum 40 marks each question of two marks.

PART 1- Applied grammar containing topics like parts of speech vocabulary, Active Passive, Direct and indirect speech, Transformation of sentence. (10 questions of 2 marks each).

PART 2- Sentence completion questions (fill in the blanks) These will be of the nature of multiple choice questions. Five questions of 2 marks each.

PART 3- Questions on reading comprehension (5 questions of 2 marks each based on an unseen passage each).

सामान्य हिन्दी

राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा-2018 के लिए सामान्य हिन्दी विषयक पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा-

वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र 40 अंकों का होगा जिसमें 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 अंक का होगा।

भाग-1. व्याकरण संबंधी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि, समास, कारक, आधारित 5 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा।

भाग-2. वाक्य संरचना, वाक्य के प्रकार, वाक्यगत अशुद्धि, शब्दगत अशुद्धि एवं तत्सम, तद्भव से संबंधित 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा।

भाग-3 पारिभाषिक शब्द (प्रशासनिक शब्द), विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, कहावतें, प्रारूप लेखन, संक्षेपण, आधारित 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा।

भाग-4 अपठित गद्यांश से संबंधित 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा।

ELEMENTARY MATHEMATICS:

ARITHMETIC :

Average profit and loss. simple and compound interest, Area Time, work and Labour, Time and distance; Square Root. Percentage, Ratio and Proportion, use of log table. volumes of rectangular surface and solids.

Algebra :

Fundamental laws and first four rules additions, Subtraction, multiplication, division, simple formula and their use factors, H.C.F.L.I.C.M. by factors, fractions, simple equations, factors of easy trinomial expressions of second degree.

Geometry :

Line and angles, parallels, triangles, congruence inequalities, parallelograms, applications of parallels, bisectors, perpendiculars etc. Construction of angles, construction of triangles, construction of quadrilaterals, theorems of areas of triangles and parallelograms, Areas of quadrilaterals, theorem of Pythagoras and its converse, reduction of quadrilaterals to an equivalent triangle, reduction of a rectilimel figure to a triangle or rectangle of equal areas, construction of a rectangle of given area and having one side of given length, miscellaneous construction, loci, Intersection of loci, exercises on loci.

Trigonometry :

Circular measure, Definitions o trigonometric rations, simple problems on heights and distance.

राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा -2018

पाठ्यक्रम

द्वितीय - प्रश्न पत्र

भाग 1 - विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण

(1) रसायन विज्ञान

रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक साम्य- रासायनिक अभिक्रिया की दर का प्रारंभिक ज्ञान, तीव्र एवं मंद रासायनिक अभिक्रियाए, रासायनिक उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाए रासायनिक साम्य गतिक प्रकृति, अम्ल एवं क्षार pH पैमाना (सरल आंकिक प्रश्न) उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रियाऐं । कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक-गुण एवं उपयोग, बनाने की विधि, उत्पादन (जल, कपडे धोने का सोडा, खाने का सोडा, विरंजकचूर्ण एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस) भवन निर्माण संबंधी कुछ पदार्थो का निर्माण-चूना, सीमेंट, कांच एवं इस्पात। धातुएं-आवर्त सारिणी में धातुओं की स्थिति एवं सामान्य गुण, धातु, खनिज अयस्क, खनिज एवं अयस्क में अंतर। धातुकर्म-अयस्कों का सांद्रण, निस्तापन, भर्जन प्रगलन एवं शोधन, कॉपर एवं आयरन का धातुकर्म, धातुओं का संक्षारण, मिश्र धातुएं। अधातुए- आवर्त सारणी में अधातुओं की स्थिति एवं सामान्य गुण, हाइड्रोन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रयोगशाला विधि गुण एवं उपयोग कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक- ऐल्कोहल एवं एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, गुण एवं उपयोग कुछ सामान्य कृत्रित बहुलक, पॉलीथीन, पाली विनाइल क्लोराइड, टेफ्लान, साबुन एवं अपमार्जक।

(2) भौतिक विज्ञान

ऊर्जा के स्त्रोत- ऊर्जा के नवीन स्त्रोत एवं पारम्परिक स्त्रोत, सौर ऊर्जा का स्त्रोत, सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति के कारण सौर तापन युक्तियां, सोलर कुकर, सोलन सेल, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगेस, जीवाश्म ईधन, आदर्श ईधन, आदर्श ईधन के गुणधर्म, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, संलयन श्रृखंला अभिक्रिया, नाभिकीय रियक्टर, नाभिकीय ऊर्जा के लाभ व हानियां। प्रकाश- प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, समतल एवं वक्र सतह से परावर्तन, समतल, उत्तल एवं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिम्ब रचना, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, एक पिन विधि द्वारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, U-V-f में संबंध। प्रकाश का अपवर्तन-अपवर्तन के नियम, कांच के गुटके द्वारा अपवर्तन, क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग, लैंस (अभिसारी एवं अपसारी लैंस) परिभाषा, फोकस दूरी, प्रकाशित केन्द्र, लैंस द्वारा प्रतिबिम्ब रचना, मानव नेत्र इसके दोष एवं निराकरण तथा फोटो ग्राफिक कैमरे और मानव नेत्र में तुलना, सरल सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शी, बनावट, उपयोग, कार्यविधि, किरण आरेख (सूत्र की स्थापना नही)। विद्युत और इसके प्रभाव-विद्युत तीव्रता, विभव-विभवांतर, विद्युत धारा, ओहम का नियम, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोधों का संयोजन एवं इसके आंकिक प्रश्न, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, इसकी उपयोगिता, शक्ति एवं विद्युत ऊर्जा व्यय की गणना (आंकिक) विद्युत प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, प्राथमिक, द्वितीयक सेल, इनके गुण-दोष लेकलांशी सेल, शुष्क सेल, सीसा संचायक सेल बनावट। विद्युत धारा के चुम्बकीय प्रभाव-विद्युत धारा के चुम्बकीय प्रभाव, ओस्टेड का प्रयोग, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत मोटर जनित्र की कार्यप्रणाली, सिद्धांत एवं उपयोग, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा का सामान्य अध्ययन। गैसों में विद्युत विसर्जन, विसर्जन नलिका, कैथोड किरणे, एक्स-किरणे एवं इनके गुणधर्म। चुम्बकत्व -चुम्बक एवं इसके प्रकार, कृत्रिम चुम्बक, चुम्बक बनाने की विधियां, चुम्बकत्व का आणविक सिद्धांत, चुम्बकीय विनाश, चुम्बकीय रक्षक, चुम्बकीय बल रेखाऐं व उनके गुण तथा बल रेखाएं खींचना। भू-चुम्बकत्व-भू-चुम्बकत्व, चुम्बकीय तूफान, चुम्बकीय एवं भौगौलिक याम्योत्तर V.H. I एवं ϕ में संबंध।

(3) जीव विज्ञान

जन्तुपोषण-पोषण के प्रकार स्वपोशी, विषमपोषी, मृतोजीवी, प्राणिसमभोजी तथा परजीवी प्राणिसमभोजी, पोषण प्रक्रिया के प्रमुख पद। एक कोशिकीय जीव (अमीबा) एवं बहुकोशिकीय जीव (टिड्डा) में पाचन। मनुष्य का पाचन तंत्र एवं पाचन प्रक्रिया। प्रकाश-संश्लेषण-परिभाषा प्रक्रिया के प्रमुख पद, प्रकाश अभिक्रिया एवं अंधकार अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक एवं प्रकाश-संश्लेषण संबंधी प्रयोग। श्वसन-परिभाषा जीव के श्वसन अंग, श्वसन एवं श्वासोच्छवास श्वसन के प्रकार, आक्सी श्वसन एवं अनाक्सी श्वसन, मनुष्य का श्वसन तंत्र एवं श्वसन प्रकिया (सामान्य जानकारी) श्वसन गुणांक ;त्ण्व्ण्द्ध कार्बोहाइड्रेट वसा एवं प्रोटीन का। परिवहन-पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन जन्तुओं में परिवहन (मानव के संदर्भ में) रुधिर की संरचना तथा कार्य हृदय की संरचना तथा कार्यविधि रुधिर वाहिनियों की संरचना तथा

कार्य (प्रारंभिक ज्ञान) रुधिर का थक्का बनना, रुधिर समूह रुधिर आधान रुधिर बैंक लसीका तंत्र के कार्य। हृदय से संबंधित रोग। उत्सर्जन- पौधों में उत्सर्जन एवं उत्सर्जी पदार्थ जन्तुओं में उत्सर्जन एवं उत्सर्जी अंग मानव में उत्सर्जन तंत्र एवं उत्सर्जन प्रक्रिया (सामान्य जानकारी) कृत्रिम वृक्क (डायलिसिस) परासरण नियत्रंक वृक्क से संबंधित रोग। नियंत्रण एवं समन्वय-पौधे एवं जन्तुओं में समन्वय पादप हार्मोन, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क की संरचना एवं कार्य, मेरूरज्जू की संरचना एवं कार्य प्रतिवर्ती क्रिया, अन्तः स्त्रावी ग्रन्थियां हार्मोन एवं कार्य। प्रजनन एवं वृद्धि-प्रजनन के प्रकार, अलैंगिक प्रजनन, विखण्डन मुकलन एवं पुनरूदभवन, कृत्रिम वर्धी प्रजनन, स्तरीकरण, कलम लगाना, ग्राफ्टिंग, अनिषेक, प्रजनन, पौधों में लैंगिक प्रजनन अंग (पुष्प) की संरचना एवं प्रजनन प्रक्रिया (सामान्य जानकारी) परागण, निषेचन। मानव प्रजनन तंत्र तथा प्रजनन प्रक्रिया (सामान्य जानकारी) अनुवांशिकी एवं विकास-अनुवांशिकी एवं भिन्नताएं, अनुवांशिकता का मूल आधार गुण सूत्र एवं क्छ। (प्रारंभिक जानकारी) जीन, लिंग निर्धारण कार्बनिक विकास का प्रारंभिक ज्ञान (केवल ओपरिन का सिद्धान्त)।

(4) प्रौद्यौगिकी

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय नीति एवं नीतियों में समय-समय पर होने वाले परिवर्तन, प्रौद्योगिकी के उद्देश्य। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं प्रौद्योगिकी, कृषि व अन्य ग्राम्य विकास कार्य कलापों के विशेष संदर्भ में इसके अनुप्रयोग, इन्सेट एवं आई.आर.एस. तन्त्र। ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान, संचार एवं प्रसारण में कम्प्यूटर, आर्थिक वृद्धि हेतु सॉफ्टवेयर का विकास, आई.टी.के वृहद अनुप्रयोग। उर्जा संसाधन- उर्जा की मांग, नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत उर्जा के स्त्रोत, नाभिकीय उर्जा का देश में विकास एवं उपयोगिता। भारत में वर्तमान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, कृषि का उद्भव, कृषि विज्ञान में प्रगति एवं उसके प्रभाव, भारत में सफल विज्ञान, उर्वरक, कीट नियंत्रण एवं भारत में रोगों का परिदृश्य।

(5) पर्यावरण

जैव विविधता एवं उसका संरक्षण- सामान्य परिचय-परिभाषा, अनुवांशिक प्रजाति एवं पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता। भारत का जैव-भौगोलिक वर्गीकरण। जैव विविधता का महत्व-विनाशकारी उपयोग उत्पादक उपयोग, सामाजिक, नैतिक, वैकल्पिक दृष्टि से महत्व। विश्व स्तरीय जैव विविधता, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर की जैव विविधता। भारत एक वृहद विविधता वाले राष्ट्र के रूप में। जैव विविधता के तप्त स्थल। जैव विविधता को क्षति-आवासीय, क्षति, वन्य जीवन को क्षति, मानव एवं वन्य जन्तु संघर्ष। भारत की संकटापन्न (विलुप्त होती) एवं स्थानीय प्रजातियां। जैव-विविधता का संरक्षण- असंस्थितिक एवं संस्थितिक संरक्षण। पर्यावरण प्रदूषण-कारण, प्रभाव एवं नियंत्रण के उपाय-वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-नगरीय एवं औद्योगिक ठोस कूड़े-करकट का प्रबंधनः कारण, प्रभाव एवं नियंत्रण। प्रदूषण के नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका। आपदा प्रबंधनः बाढ़, भूकंप, चक्रवात एवं भू-स्खलन। मानव जनसंख्या एवं पर्यावरण। जनसंख्या वृद्धि, विभिन्न राष्ट्रों में जनसंख्या में भिन्नता। जनसंख्या विस्फोट-परिवार कल्याण कार्यक्रम। पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य।

QUESTION PAPER-02

SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT

01 **CHEMISTRY**

Rate of chemical reaction and chemical equilibrium - Preliminary knowledge of rate of chemical reaction. Fast and slow chemical reactions. Reversible and in eversible chemical reactions. Reversible reaction and dynamic nature of equilibrium. Acids and bases. pH scale [simple numerical questions. Exothermic and endothermic reactions Some important chemical compounds - properties and uses. Method of production manufacture [water, washing soda, baking soda bleaching powder and plaster of Paris.) preparation of building material-lime cement glass and

steel. Metals - Position of metals in the periodic table and general properties. Metal, mineral ore. Differenc between mineral and ore. Metallurgy-concentration, roasting, smelting, refining of ores. Metallurgy of copper an Iron, corrosion of metals. Alloys. Nonmetals - Position of nonmetals in the periodic table. Preparation propertie and uses of Hydrogen oxygen and nitrogen. Some important organic compounds - laboratory method of preparin alcohol and acetic acid, properties and uses some general artificial polymers, polythene, polyvinyl chloride. Teflo soap and detergents.

02 **PHYSICS**

Source of Energy - Conventional and new sources of Energy, sourceof solar energy, causes of origin of energ the Sun, solar heating devices, solar cooker solar cell, wind energy, biogas, fossil fuels, ideal fuel propertie ideal fuel. Nuclear energy, nuclear Fission, Fusion, chain reaction, nuclear reactor, uses and harms of nuc energy. General information about CREDA. Light - nature of light reflection of light, laws of reflection, reflection 1 plane and curved surface, image formation by plane convex and concave mirror, relation between focal length radius of curvature, determination of focal length of concave mirror by single pin method. [Relation between [numerical examples. Refraction of light - laws of refraction, refraction by glass slab, critical angle, total inte reflection, use of total internal reflection in daily life. lens [converging and diverging lens. Definition focal le optical centre image formation by lens Human eye. its defects and remedies. Comparison between photogra camera and human eye. Simple telescope and astronomical telescope. Construction working, uses, ray diagram formula derivation]. Electricity and its effects -electric intensity, potential,potential difference, electric curenl. Ohm's Resistance specific resistance, influencing factors, combination of resistance and related numerical examples the effect of current it's use, calculation of power and electrical energy spent,(numerical) precautions observed in ele experiments. Chemical effects of electric current. Primary and secondary cells their properties and drawb Leclanche cell, dry cell, lead accumulator cell, construction. Magnetic effect of current - Magnetic effect of cur Oersted experiment, electromagnetic induction, electric motor, working principle and use of generator, general stu of alternating current and direct current, electric discharge in gases, discharge tube, cathode rays. X-rays and properties. Magnetism - Magnet and it's types artificial magnet, methods of preparing magnets, molecular theor magnetism, demagnetization, magnetic keepers, magnetic lines of force and their properties. Plotting the line force Terrestriel magnetism, magnetic storm, magnetic meridian geographical meridian, relation between VH1 and

03 **BIOLOGY**

Animal nutrition - Types of nutrition. Autotrophic Nutrition, Heterotrophic Nutrition. Holozoic, Parasitic, Saproph 'symbiotic. Insectivorous. Important terms of nutrition process. Digestion in unicellular cell animal [amoeba] and r cellular animal grass hopper. Human digestive system and digestive process. Photosynthesis, amin steps of process light reaction and dark reaction. Factors influencing Photosynthesis. Experiments related to photosynth Respiration - Definition, respiratory organs of animals breathing and respiration. Types of respiration. Aerobic anaerobic respiration, respiratory system of human being and mechanism of respiration [general informat respiratory quotient [RQ] of carbohydrate, fat and protein. Transport of mineral and water in plants and animal context of human being]

Composition and function of blood, structure and working of heart, structure and function of blood vessels [prelimi knowledge] coagulation of blood, blood group, blood transfusion, blood bank, function of lymph system, dise related to heart. Excretion - excretion in plants and excretory product. Excretion in animal and excretory or Excretion system of man and excretion process [general information] artificial kidney dialysis. Osmo regula Diseases related to kidney Control and coordination - coordination in plants and animal Phytoharmones. Nen system of human being. Structure and function of human Brain and spinal cord, reflex action, endocrine gl hormone and their function. Reproduction and growth - type of reproduction Asexual reproduction fission, budc

regeneration, vegetative reproduction, layering, cutting, grafting, Parthenogenesis, sexual reproduction in pla structure of flower and reproduction process [general information] pollination fertilization. Human reproductive sys and reproduction process. Heredity and evolution - heredity and variation, basis of heredity chromosome and [[preliminary information] gene sex determination preliminary knowledge of organic evolution [Oparin's theory only].

04 **TECHNOLOGY**

National policy of science and technology and changes in the policy from time to time, purpose of technology. Space programme in India and its applications with special reference to industrial, agricultural and other rural developmental activities, INSAT and IRS systems. Role of Information Technology in Rural India, basic knowledge of computers, computers in communication and broadcasting, software development for economic growth. Broad applications of IT. Energy Resources: Energy demands, renewable and nonrenewable energy resources, nuclear energy. the development and its utilization in the country. Current Science& Technology developments in India, origin of agriculture. Progress of Agricultural Science and its impacts. Crop science in India, Fertilizers. Control of pests and disease scenario in India.

05 **ENVIRONMENT**

Bio-diversity and its conservation - General introduction - definition. species and genetic diversity. Bio-geographic classification of India. Importance of Bio-Diversity - Constructive and Destructive application. Importance of social, moral and alternative vision. Global. National and Local level Bio-diversity. India as a wide diversity nation, Hotspots of Biodiversity, threats to biodiversity, Residential damage, damage to wildlife, humans and wild animals struggle. India's threatened (endangered) and local species, Conservation of bio-diversity. Topological and Non topological conservation. Environmental pollution - Reason effect and conservation - Air pollution, water pollution, see pollution, soil pollution, sound/noise pollution, thermal pollution, nuclear pollution. Solid waste management- Urban and Industrial solid waste management: reason, effect and control. Human role in pollution control. Disaster Management. Floods, Earthquake. Cyclones and Landslide. Human Population and Environment, Population growth. Variation in the population in various countries. Population explosion and Family Welfare Programme. Environment and Human health.